

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार 2

अधिगम उद्देश्य:

इस अध्याय के अध्ययन के पश्चात आप:

- निर्यात सौदों के क्रियांवयन से संबद्ध विभिन्न महत्वपूर्ण चरणों एवं प्रलेखों का;
- आयात सौदों के क्रियांवयन से संबद्ध विभिन्न महत्वपूर्ण चरणों एवं प्रलेखों को समझा सकेंगे;
- अंतर्राष्ट्रीय इकाइयों को मिलने वाले विभिन्न प्रलोभनों एवं योजनाओं की पहचान कर सकेंगे;
- विदेशी व्यापार के प्रवर्तन के लिए देश में स्थापित विभिन्न संगठनों की भूमिका की पहचान कर सकेंगे एवं उसे बता सकेंगे, एवं
- विश्व स्तर के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों एवं समझौतों को सूचिबद्ध कर सकेंगे तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं विकास के प्रवर्तन में उनकी भूमिका की व्याख्या कर सकेंगे।

अपने मित्र एवं पुत्र के साथ विचार-विमर्श के पश्चात् श्री सुधीर मनचंदा को विश्वास हो गया कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रवेश का उसके लिए यही उचित समय है। इससे वह न केवल वह आंतरिक बाजार में अपने स्वचालित वाहनों के पुर्जों की माँग परिपूर्णता की समस्या पर विजय प्राप्त कर सकेंगे बल्कि इससे उन्हें अंतर्राष्ट्रीय इकाइयों को मिलने वाले लाभों को प्राप्त कर सकेंगे। इस समय क्योंकि उनके पास सीमित पूँजी है तथा उनको विदेशों में व्यापार को कोई पिछला अनुभव भी नहीं है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रवेश के लिए निर्यात मार्ग को चुना।

परंतु उनके साथ समस्या यह है कि वह यह नहीं जानते कि निर्यात व्यवसाय में कैसे प्रविष्ट हुआ जाए। टायर के व्यापार में रत उनके मित्र ने उन्हें बताया कि आयात-निर्यात क्रियाएँ अपने देश में व्यापार प्रचालन की क्रियाएँ जितनी सरल नहीं है।

माल को निर्यात करने से पहले कई औपचारिकताएँ पूरी करनी होती हैं तथा प्रलेख तैयार करने होते हैं। यदि वह निर्यात या गुणवत्ता वाली वस्तुओं का उत्पादन करना चाहता है तथा उसके लिए वह कुछ औजार एवं कच्चे माल का आयात करना चाहता है तो इसकी भी समान तथा कुछ सीमा तक थकाने वाली प्रक्रिया है। श्री मनचंदा फिर से पशोपेश में है। वह बिल्कुल भी नहीं जानते कि आयात-निर्यात की आवश्यक औपचारिकताएँ क्या हैं एवं कौन-कौन से प्रलेखों की आवश्यकता होती है।

श्री मनचंदा इस बात के लिए भी हैरान हैं कि वह निर्यात की जोखिमों से किस प्रकार अपना बचाव करेंगे। उनकी चिंता का एक कारण वह अतिरिक्त लागत है, जो उन्हें अपनी वस्तुओं को निर्यात योग्य बनाने के लिए व्यय करनी होंगी। कुछ आयातित मशीनों एवं कच्चे माल के प्रयोग को भी वह ध्यान में रखे हुए हैं लेकिन क्या इन वस्तुओं के आयात पर आयात कर उनके उत्पाद की लागत में वृद्धि नहीं कर देगा? इसके अतिरिक्त वह विदेशों को निर्यात के लिए आवश्यक परिवहन, पैकेजिंग एवं बीमा पर अतिरिक्त व्यय करेंगे।

टायर का व्यापार कर रहे श्री मनचंदा के मित्र ने उनसे कहा कि इन समस्याओं के संबंध में उन्हें अधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। भारत की कई अन्य फर्मों भी तो पहले से ही निर्यात व्यापार में लगी हुई हैं एवं उनका निर्यात भी बहुत अधिक है। उन्हें धीरज रखना चाहिए तथा इन छोटी-छोटी बातों से परेशान नहीं होना चाहिए। श्री मनचंदा के मित्र ने उन्हें अपने आपको आयात-निर्यात प्रक्रिया एवं प्रलेख तैयार करने से परिचित कराने के लिए किसी व्यापार विशेषज्ञ से सलाह लेने की सलाह दी। उनके मित्र ने उनको यह भी बताया कि यद्यपि उसके पास कोई निश्चित विवरण नहीं है लेकिन वह जानता है कि विदेशी व्यापार संवर्धन के कई उपाय एवं संगठन हैं जो उनकी समस्याओं के समाधान करने एवं विश्व बाजार में उनके उत्पादों को और अधिक उपयोगी बनाने में सहायक हो सकते हैं।

12.1 परिचय

बाह्य देशों को वस्तुओं का निर्यात, अपने देश में उनके विक्रय से काफी भिन्न है। विदेशी गंतव्य स्थान से माल को वास्तव में लदान करने अथवा बाह्य देशों के आपूर्तिकर्ताओं से आयात करने से पहले जिन प्रक्रिया संबंधित औपचारिकताओं को पूरा करना है उनसे परिचित होना आवश्यक है। व्यापार को सुगम बनाने एवं उसके संवर्धन के लिए सरकार कई प्रकार की प्रेरणाएँ प्रदान करती है जैसे अंतर्राष्ट्रीय फर्मों को शुन्य अथवा कम दर के सीमा शुल्क पर वस्तुओं के आयात की योजना, यदि उन वस्तुओं का उपयोग वह निर्यात के लिए वस्तुओं के उत्पादन में करते हैं, उन्हें अन्य शुल्क एवं करों के भुगतान से मुक्ति एवं उनकी आयात-निर्यात क्रियाओं के लिए उचित वातावरण तैयार करने एवं उसका प्रसार करने, कुछ विशिष्ट वस्तुओं के निर्यात के संवर्धन, अंतर्राष्ट्रीय व्यावसायिक इकाइयों के कार्यकारी अधिकारियों को प्रशिक्षण देने एवं निर्यात की वस्तुओं की गुणवत्ता एवं उनके परिबंधन को सुनिश्चित करने के लिए अनेक प्रकार के संगठनों की स्थापना की है। विभिन्न देशों के बीच विकास एवं व्यापार को गति प्रदान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक संगठन हैं जैसे विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू.टी.ओ.)

इस अध्याय में विदेशी व्यापार के प्रमुख चरण/पादान एवं इसमें प्रयुक्त होने वाले विभिन्न प्रलेखों पर परिचर्चा की जाएगी। इस अध्याय में विभिन्न व्यापार संवर्धन उपायों एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय के प्रवर्तन हेतु स्थापित संगठनों की

भूमिका की पहचान एवं परीक्षा की जाएगी। इस अध्याय के निर्णायक अनुभाग में विश्व के विकास एवं व्यापार के संवर्धन हेतु विश्व स्तर पर कार्यरत प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों का विश्लेषण करेंगे।

12.2 आयात निर्यात प्रक्रिया

आंतरिक एवं बाह्य व्यवसाय परिचालन में प्रमुख अंतर की जटिलता है। वस्तुओं का आयात एवं निर्यात उतना सीधा एवं सरल नहीं है जितना कि घरेलू बाजार में क्रय एवं विक्रय, क्योंकि विदेशी व्यापार में माल देश की सीमा के पार भेजा जाता है तथा इसमें विदेशी मुद्रा का प्रयोग किया जाता है, इसलिए अपने देश की सीमा को पार करने तथा दूसरे देश की सीमा में प्रवेश करने से पूर्व कई औपचारिकताओं को पूरा करना होता है। आगे के अनुभागों में आयात-निर्यात सौदों को पूरा करने से संबंधित प्रमुख चरणों की चर्चा करेंगे।

12.2.1 निर्यात प्रक्रिया

विभिन्न चरणों की संख्या एवं जिस क्रम में यह चरण उठाए जाते हैं अलग-अलग निर्यात लेन-देनों के अलग-अलग होते हैं। एक प्रति रूपक निर्यात लेन-देन निम्नलिखित चरण होते हैं:

(क) **पूछताछ प्राप्त करना एवं निर्यात भेजना:** संभावित क्रेता विभिन्न निर्यातकों को पूछताछ का पत्र भेजता है जिसमें वह उनसे माल के मूल्य, गुणवत्ता एवं निर्यात से संबंधित शर्तों के संबंध में सूचना भेजने के लिए प्रार्थना करता है। आयातक इस प्रकार विज्ञापन की पूछताछ के संबंध में निर्यातकों को समाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से भी सूचित कर सकता है। निर्यातक

इस पूछताछ का उत्तर निर्र्ख के रूप में भेजता है जिसे प्रारूप बीजक कहते हैं। प्रारूप बीजक में उस मूल्य के संबंध में सूचना होती है जिस पर निर्यातक माल को बेचने के लिए तैयार है। इसमें गुणवत्ता, श्रेणी, आकार, वजन, सुपुर्दगी की प्रणाली, पैकेजिंग का प्रकार एवं भुगतान की शर्तों आदि की भी सूचना दी होती है।

(ख) आदेश अथवा इंडेंट की प्राप्ति: यदि संभावित क्रेता (अर्थात् आयातक फर्म) के लिए निर्यात का मूल्य एवं अन्य शर्तें स्वीकार्य हैं, तो वह वस्तुओं को भेजने का आदेश देगा। इस आदेश में जिसे इंडेंट भी कहते हैं, आदेशित वस्तुओं का विवरण, देय मूल्य, सुपुर्दगी की शर्तें, पैकिंग एवं चिह्नांकन का ब्यौरा एवं सुपुर्दगी संबंधी निर्देश होते हैं।

(ग) आयातक की साख का आंकलन एवं भुगतान की गारंटी प्राप्त करना: इंडेंट की प्राप्ति के पश्चात् निर्यातक, आयातक की साख के संबंध में आवश्यक पूछताछ करता है। इस पूछताछ का उद्देश्य माल के आयात के गंतव्य स्थान पर पहुँचने पर आयातक द्वारा भुगतान न करने की जोखिम का आंकलन करना है। इस जोखिम को कम से कम करने के लिए अधिकांश निर्यातक, आयातक से साख पत्र की माँग करते हैं। साख पत्र आयातक के बैंक द्वारा जारी किया जाता है जिसमें वह निर्यातक के बैंकों को एक निश्चित राशि तक के निर्यात बिलों के भुगतान की गारंटी देता है। अंतर्राष्ट्रीय लेन-देनों के निपटान के लिए भुगतान की सर्वाधिक उपयुक्त एवं सुरक्षित विधि है।

(घ) निर्यात लाइसेंस प्राप्त करना: भुगतान के संबंध में आश्वस्त हो जाने के पश्चात् निर्यातक फर्म निर्यात संबंधी नियमों के पालन की दिशा में कदम उठाती है। भारत में वस्तुओं के निर्यात पर सीमा नियम लागू होते हैं जिनके अनुसार निर्यातक फर्म को निर्यात करने से पहले निर्यात लाइसेंस प्राप्त कर लेना चाहिए। निर्यात लाइसेंस प्राप्त करने के पूर्व महत्त्वपूर्ण अपेक्षाएँ निम्नलिखित हैं:

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिकृत किसी भी बैंक में खाता खोलना एवं खाता संख्या प्राप्त करना।

- विदेशी व्यापार (डी.जी.एल.टी.) अथवा क्षेत्रीय आयात-निर्यात लाइसेंसिंग प्राधिकरण से आयात-निर्यात कोड संख्या (आई.ई.सी. संख्या) प्राप्त करना।
- उपर्युक्त निर्यात संवर्धन परिषद् के यहाँ पंजीयन कराना
- निर्यात साख एवं गारंटी निगम (एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी काउंसिल-ई.सी.जी.सी.) भुगतान प्राप्त न होने के कारण होने वाली जोखिमों के विरुद्ध सुरक्षा हेतु पंजीकरण कराना।

एक निर्यातक फर्म को आयात-निर्यात कोड (आई.ई.सी.) संख्या अवश्य प्राप्त कर लेनी चाहिए क्योंकि इसे कई आयात/निर्यात विलेखों में लिखना होता है। आई.ई.सी. नंबर प्राप्त करने के लिए निर्यातक फर्म को प्रमुख निदेशक विदेशी व्यापार (डाइरेक्टर जनरल फॉर फॉरेन ट्रेड-डी.जी.एल.टी.) के पास आवेदन करना होता है जिसके साथ वह कुछ प्रलेख संलग्न

करता है जो इस प्रकार हैं— निर्यात खाता, आपेक्षित फीस की बैंक रसीद, बैंक से एक फार्म पर प्रमाण पत्र, बैंक द्वारा अनुप्रमाणित फोटोग्राफ, गैर आवासी हित का विस्तृत व्यौरा एवं जिन फर्मों से सावधान रहना हैं उनसे किसी प्रकार का संबंध नहीं है, इस आशय की घोषणा। प्रत्येक निर्यातक के लिए उपयुक्त निर्यात संवर्धन परिषद् के यहाँ पंजीयन कानूनी बाध्यता है। भारत सरकार द्वारा विभिन्न वर्गों के उत्पादों के संवर्धन एवं विकास के लिए कई निर्यात संवर्धन परिषदों की स्थापना की गई है जैसे कि इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद् (इ.इ.पी.सी.) एवं एम्पेरेल निर्यात संवर्धन परिषदों के संबंध में चर्चा आगे एक अनुभाग में की जाएगी। यहाँ यह बताना आवश्यक है कि किसी भी निर्यातक के लिए किसी उपयुक्त निर्यात संवर्धन परिषद् का सदस्य बनना एवं पंजीयन-सदस्यता प्रमाण पत्र (आर.सी.एम.सी.) प्राप्त करना जरूरी है तभी सरकार से निर्यातक फर्मों को मिलने वाले लाभों को प्राप्त कर पाएगा।

विदेशों से भुगतान को राजनीतिक एवं वाणिज्यिक जोखिमों से संरक्षण के लिए ई.सी.जी.सी. के पास पंजीकरण कराना आवश्यक है। पंजीकरण करा लेने पर निर्यातक फर्मों को व्यापारिक बैंक एवं अन्य वित्तीय संस्थानों से वित्तीय सहयोग भी प्राप्त हो जाता है।

(ड) माल प्रेषण से पूर्व वित्त करना: आदेश होने एवं साख-पत्र की प्राप्ति के पश्चात् निर्यातक माल के प्रेषण से पूर्व के वित्त हेतु अपने बैंक के पास जाता है जिससे कि वह निर्यात के लिए उत्पादन कर सके। प्रेषण पूर्व

वित्त वह राशि है जिसकी निर्यातक को कच्चा माल एवं अन्य संबंधित चीजों का क्रय करने, वस्तुओं के प्रक्रियन एवं अन्य संबंधित चीजों का क्रय करने, वस्तुओं के प्रक्रियन एवं पैकेजिंग तथा वस्तुओं के माल लदान बंदरगाह तक परिवहन के लिए आवश्यकता होती है।

(च) वस्तुओं का उत्पादन एवं अधिप्राप्ति: माल के लदान से पूर्व बैंक से वित्त की प्राप्ति हो जाने पर निर्यातक आयातक के विस्तृत वर्णन के अनुसार माल को तैयार करेगा। फर्म या तो इन वस्तुओं का स्वयं उत्पादन करेगी अथवा इन्हें बाजार से क्रय करेगी।

(छ) जहाज लदान निरीक्षण: भारत सरकार ने यह सुनिश्चित करने की दिशा में कई कदम उठाए हैं कि देश से केवल अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तुओं का ही निर्यात हो। इनमें से एक कदम सरकार द्वारा मनोनीत सर्वथा योग्य एजेन्सी द्वारा कुछ वस्तुओं का अनिवार्य निरीक्षण है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सरकार ने एक्सपोर्ट क्वालिटी कंट्रोल एवं निरीक्षण एक्ट 1963 पारित किया। सरकार ने कुछ एजेंसियों को निरीक्षण एजेंसी के रूप में अधिकृत किया। यदि निर्यात किया जाने वाला माल इस वर्ग के अंतर्गत आता है तो उसे एक्सपोर्ट इंस्पैक्शन एजेंसी (ई.आई.ए.) अथवा अन्य मनोनीत की गई एजेंसी से संपर्क कर निरीक्षण प्रमाणपत्र प्राप्त करना होगा। इस निरीक्षण अनुवेदन को निर्यात के अवसर पर अन्य निर्यात प्रलेखों के साथ जमा कराया जाएगा। यदि माल का निर्यात सितारा निर्यात गृहों, निर्यात प्रक्रिया अंचल/विशेष आर्थिक अंचल (ई.पी.जैड/ एस.ई.जैड.) एवं

शत प्रतिशत निर्यात मूलक इकाईयों (ई.ओ.यू.) के द्वारा किया जा रहा है तो इस प्रकार का निरीक्षण अनिवार्य नहीं होगा। इन विशिष्ट प्रकार की निर्यात कालमों के संबंध में आगे के अनुभाग में चर्चा करेंगे।

(ज) उत्पाद शुल्क की निकासी: केंद्रीय उत्पादन शुल्क अधिनियम (सैंटरल एक्साइज टैरिफ एक्ट) के अनुसार वस्तुओं के विनिर्माण में प्रयुक्त माल पर उत्पादन शुल्क का भुगतान करना होता है। निर्यातक को इसीलिए संबंधित क्षेत्रीय उत्पादन शुल्क कमीशनर को आवेदन करना होता है। यदि कमीशनर संतुष्ट हो जाता है तो वह उत्पादन शुल्क की छूट का प्रमाण पत्र दे देगा। लेकिन कुछ मामलों में यदि उत्पादित वस्तुएं निर्यात के लिए होती हैं तो सरकार उत्पादन शुल्क से छूट प्रदान कर देती है अथवा इसे लौटा देती है। इस प्रकार की छूट अथवा वापसी का उद्देश्य निर्यातक को और अधिक निर्यात के लिए प्रोत्साहित करना एवं निर्यात उत्पादों को विश्व बाजार में और अधिक प्रतियोगी बनाना है। उत्पादन शुल्क की वापसी को शुल्क की वापसी कहते हैं। शुल्क फिरौती योजना को आजकल वित्त मंत्रालय के अधीनस्थ फिरौती/वापसी निदेशालय प्रशासित करता है। यही विभिन्न उत्पादों के फिरौती की दर को निश्चित करता है। वापसी का अनुमोदन एवं भुगतान को उसके बंदरगाह/हवाई अड्डे/स्थल सीमा स्टेशन, जिससे माल का निर्यात किया गया है के कस्टम, कमीशन अथवा केंद्रीय उत्पाद इंचार्ज के द्वारा किया जाता है।

(झ) उद्गम प्रमाणपत्र प्राप्त करना: कुछ आयातक देश, किसी विशेष देश से आ रहे माल पर शुल्क की छूट अथवा अन्य कोई छूट देते हैं। इनका लाभ उठाने के लिए आयातक निर्यातक से उद्गम प्रमाण पत्र की माँग कर सकता है। यह प्रमाण पत्र इस बात को प्रमाणित करता है कि वस्तुओं का उत्पादन उसी देश में हुआ है जिस देश ने इसका निर्यात किया है। इस प्रमाण पत्र को निर्यातक के देश में स्थित वाणिज्य दूतावास अधिकारी से प्राप्त किया जा सकता है।

(ज) जहाज में स्थान का आरक्षण: निर्यातक फर्म जहाज में स्थान के लिए प्रावधान हेतु जहाजी कंपनी को आवेदन करती है। इसे निर्यात के माल का प्रकार, जहाज में लदान की संभावित तिथि एवं गंतव्य बंदरगाह को घोषित करना होता है। जहाज पर लदान के आवेदन की स्वीकृति, के पश्चात जहाजी कंपनी जहाजी आदेश पत्र जारी करती है। जहाजी आदेश पत्र जहाज के कप्तान के नाम आदेश होता है कि वह निर्धारित वस्तुओं को नामित बंदरगाह पर सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा निकासी होने पर जहाज पर माल का लदान करा ले।

(ट) पैकिंग एवं माल को भेजना: माल उचित ढंग से पैकिंग कर उन पर आवश्यक विवरण देंगे जैसे आयातक का नाम एवं पता, सकल एवं शुद्ध भार, भेजे जाने वाले एवं गंतव्य बंदरगाहों के नाम एवं उद्गम देश का नाम आदि। निर्यातक तत्पश्चात माल को बंदरगाह तक ले जाने की व्यवस्था करता है। रेल के डिब्बों में माल का लदान कर लेने के पश्चात रेल अधिकारी 'रेलवे रसीद' जारी करते हैं जो

माल के मालिकाना अधिकार का काम करता है। निर्यातक इस रेलवे रसीद को अपने एजेंट के नाम को बेचान कर देता है जिससे कि वह बंदरगाह के शहर के स्टेशन पर माल की सुपुर्दगी ले सके।

(ठ) वस्तुओं का बीमा: वस्तुओं को मार्ग में समुद्री जोखिमों के कारण, माल के खो जाने अथवा टूट-फूट जाने की जोखिम से संरक्षण प्रदान करने के लिए निर्यातक बीमा कंपनी से वस्तुओं का बीमा करा लेता है।

(ड) कस्टम निकासी: जहाज में लदान से पहले वस्तुओं की कस्टम से निकासी अनिवार्य है। कस्टम से निकासी प्राप्त करने के लिए निर्यातक जहाजी बिल तैयार करता है। यह मुख्य प्रलेख होता है जिसके आधार पर कस्टम कार्यालय निर्यात की अनुमति प्रदान करता है। जहाजी बिल में निर्यात किये जाने वाले माल, जहाज का नाम, बंदरगाह जहाँ माल उतारना है, अंतिम गंतव्य देश, निर्यातक का नाम एवं पता आदि का विवरण दिया जाता है तत्पश्चात जहाजी बिल की पाँच प्रति एवं नीचे दिये गए प्रलेख कस्टम घर में तैनात कस्टम मूल्यांकन अधिकारी के पास जमा करा दिए जाते हैं। ये प्रलेख हैं।

- निर्यात अनुबंध अथवा निर्यात आदेश
- साख पत्र
- वाणिज्यिक बीजक
- उद्गम प्रमाण पत्र
- निरीक्षण प्रमाण पत्र यदि आवश्यक है तो
- समुद्री बीमा पॉलिसी
- अधीक्षक

इन प्रलेखों को जमा करने के पश्चात, संबंधित, बंदरगाह न्यास के पास 'माल को ढो ले जाने का आदेश प्राप्त करने के लिए जाया जाएगा। ढो ले जाने का आदेश बंदरगाह के प्रवेश द्वार पर तैनात कर्मचारियों के नाम, डॉक में माल के प्रवेश की अनुमति देने के लिए आदेश होता है। ढो ले जाने के आदेश की प्राप्ति माल को बंदरगाह क्षेत्र में ले जाकर उपयुक्त शैड में संगृहित कर दिया जाएगा। निर्यातक को इन सभी औपचारिकताओं की पूर्ति के लिए हर समय उपस्थिति संभव नहीं है, इसीलिए यह कार्य एक एजेंट को सौंप दिया जाता है जिसे निकासी एवं माल भेजने वाला एजेंट कहते हैं।

(ढ) जहाज के कप्तान की रसीद (मेट्स रिसीप्ट) प्राप्त करना: वस्तुओं का अब जहाज पर लदान किया जाएगा जिसके बदले जहाज का कारिंदा अथवा कप्तान/मेट्स रसीद जारी/बंदरगाह अधीक्षक को जारी करेगा। मेट्स रसीद जहाज के नायक के कार्यालय द्वारा जहाज पर माल के लदान पर जारी की जाती है जिसमें जहाज का नाम, माल लदान की तिथि,, पेट्रीबधन (पैकेज) का विवरण, चिन्ह एवं संख्या, जहाज पर प्राप्ति के समय माल की दशा आदि की सूचना दी जाती है। बंदरगाह का अधीक्षक बंदरगाही शुल्क की प्राप्ति के पश्चात मेट्स रसीद को निकासी एवं प्रेषक एजेंट को सौंप देता है।

(डू) भाड़े का भुगतान एवं जहाजी बिल्टी का बीमा: भाड़े की गणना हेतु निकासी एवं प्रेषक एजेंट मेट्स रसीद को जहाजी कंपनी को सौंप देगा। भाड़े के भुगतान के पश्चात् जहाजी

कंपनी जहाजी बिल्टी जारी करेगी जो इस बात का प्रमाण है कि जहाजी कंपनी ने माल को नामित गंतव्य स्थान तक ले जाने के लिए स्वीकार कर लिया है। यदि माल हवाई जहाज के द्वारा भेजा जा रहा है तो इस प्रलेख को एयर वे बिल कहेंगे।

(ग) बीजक बनाना: माल को भेज देने के पश्चात, भेजे गए माल का बीजक तैयार किया जाएगा। बीजक भेजे गए माल की मात्रा एवं आयातक द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि लिखी होती है। निकासी एवं प्रेषक एजेंट इसे कस्टम अधिकारी से सत्यापित कराएगा।

(ङ) भुगतान प्राप्त करना: माल के जहाज से भेज देने के पश्चात निर्यातक इसकी सूचना आयातक को देगा। माल के आयातक के देश में पहुँच जाने पर उसे माल पर अपने स्वामित्व के अधिकार का दावा करने के लिए एवं उनकी कस्टम से निकासी के लिए विभिन्न प्रलेखों की आवश्यकता होती है यह प्रलेख है: बीजक की सत्यापित प्रति, जहाजी बिल्टी, पैकिंग सूचि, बीमा पॉलिसी, उद्गम प्रमाण पत्र एवं साख पत्र। निर्यातक इन प्रलेखों को अपने बैंक के माध्यम से इन निर्देशों के साथ भेजता है कि इन प्रलेखों को आयातक को तभी सौंपा जाए जबकि वह विनिमय विपत्र को स्वीकार कर ले जिसे ऊपर लिखे प्रलेखों के साथ भेजा जाता है। प्रांसगिक प्रलेखों को बैंक को भुगतान प्राप्त के उद्देश्य से सौंपना प्रलेखों का विनिमयन कहलाता है।

विनिमय विपत्र आयातक को एक निश्चित राशि का निश्चित व्यक्ति अथवा आदेशित

व्यक्ति अथवा विलेख के धारक को भुगतान करने का आदेश होता है। यह दो प्रकार का हो सकता है अधिकार पत्र प्राप्ति पर भुगतान (दर्श विपत्र) अधिकार प्राप्ति पर स्वीकृति (मुद्दती विपत्र) दर्श विपत्र में अधिकार पत्रों को आयातक को भुगतान पर ही सौंपा जाता है। जैसे ही आयातक दर्श विपत्र पर हस्ताक्षर करने को तैयार हो जाता है, संबंधित प्रलेखों को उसे सौंप दिया जाता है। मियादी विपत्र में दूसरी ओर आयातक द्वारा बिल को स्वीकार करने, जिसमें एक निश्चित अवधि जैसे कि तीन मास, की समाप्ति पर भुगतान करना होता है, उसे अधिकार प्रलेख सौंपे जाते हैं। विनिमय विपत्र की प्राप्ति पर दर्श विपत्र के होने पर आयातक भुगतान कर देता है और यदि मियादी विपत्र है तो विपत्र की भुगतान तिथि पर भुगतान के लिए इसे स्वीकार करता है। निर्यातक का बैंक आयातक के बैंक के माध्यम से भुगतान प्राप्त करता है तत्पश्चात उसे निर्यातक के खाते के जमा में लिख देता है।

निर्यातक को आयातक द्वारा भुगतान करने की इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। निर्यातक अपने बैंक को प्रलेख सौंप कर एवं क्षतिपूरक पत्र पर हस्ताक्षर कर तुरंत भुगतान कर सकता है। क्षतिपूरक पत्र पर हस्ताक्षर कर निर्यातक आयातक से भुगतान की प्राप्ति न होने की स्थिति में बैंक को यह राशि ब्याज सहित भुगतान करने का दायित्व लेता है।

निर्यात के बदले में भुगतान प्राप्त कर लेने पर निर्यातक को बैंक से भुगतान प्राप्ति का प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। यह प्रमाण पत्र यह

प्रमाणित करता है कि एक निश्चित निर्यात प्रेषण को भुगतान के लिए प्रस्तुत कर दिया गया है) से संबंधित प्रलेखों (विनिमय विपत्र को सम्मिलित एवं विनिमय नियंत्रण नियमों के अनुरूप भुगतान कर) का प्रक्रमण कर लिया गया है (आयातक प्राप्त कर लिया गया है।

निर्यात लेन-देन में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख प्रलेख

(क) वस्तुओं से संबंधित प्रलेख

निर्यात बीजक: निर्यात बीजक विक्रेता का विक्रय माल बिल होता है जिसमें बेचे गए माल के संबंध में सूचना दी होती है जैसे मात्रा, कुल मूल्य, पैकेजों की संख्या, पैकिंग पर चिन्ह गंतव्य बंदरगाह, जहाज का नाम, जहाजी बिल्टी संख्या, सुपुर्दगी संबंधित शर्तें एवं भुगतान आदि।

पैकिंग सूची: पैकिंग सूची, पेटियों अथवा गांठों की संख्या एवं इनमें रखे गए माल का विवरण है। इसमें निर्यात किए गए माल की प्रकृति एवं इनके स्वरूप का विवरण दिया होता है।

उद्गम का प्रमाण पत्र: यह वह प्रमाण पत्र है जो इस बात का निर्धारण करता है कि माल का उत्पादन किस देश में हुआ है। इस प्रमाण पत्र से आयातक को कुछ पूर्व निर्धारित देशों में उत्पादित वस्तुओं पर शुल्क पर छूट या फिर अन्य छूट जैसे कोटा प्रतिबंध का लागू न होना, प्राप्त हो जाती है। जब कुछ चुनीदां देशों से कुछ विशेष वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध हो तब भी इस प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है क्योंकि वस्तुएँ यदि प्रतिबंधित देश में उत्पादित नहीं हैं तभी उन्हें आयातक देश में आने दिया जाएगा।

निरीक्षण प्रमाण पत्र: उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने कुछ उत्पादों का किसी अधिकृत एजेंसी द्वारा निरीक्षण अनिवार्य कर दिया है। भारतीय निर्यात निरीक्षण परिषद् (ई.आई.सी.आई.) एक ऐसी ही एजेंसी है जो इस प्रकार का निरीक्षण करती है एवं इस आशय का प्रमाण पत्र जारी करती है कि प्रेषित माल का निर्यात गुणवत्ता नियंत्रण एवं निरीक्षण अधिनियम 1963 के तहत निरीक्षण कर लिया गया है एवं यह इस पर लागू गुणवत्ता नियंत्रण एवं निरीक्षण शर्तों को पूरा करता है एवं यह निर्यात के सर्वथा योग्य है। प्रमाण पत्र को अपने देश में आयातित वस्तुओं के लिए अधिकृत रूप से अनिवार्य कर दिया है।

(ख) जहाजी कारिंदे/कप्तान की रसीद/मेट्स रसीद:

यह रसीद जहाज के नायक द्वारा जहाज पर माल के लदान के पश्चात निर्यातक को दी जाती है। मेट्स रसीद में जहाज का नाम, बर्थ, माल भेजने की तिथि, पैकेजों का विवरण, चिन्ह एवं संख्या, जहाज पर माल प्राप्ति के समय में माल की स्थिति, आदि जहाजी कंपनी तब तक जहाजी बिल्टी जारी नहीं करती जब तक की यह मेट्स रसीद प्राप्त नहीं कर लेती।

जहाजी बिल, यह मुख्य प्रलेख है। इसी के आधार पर कस्टम कार्यालय निर्यात की अनुमति प्रदान करता है। जहाजी बिल निर्यात किए जा रहे माल का विवरण, जहाज का नाम, बंदरगाह जिस पर माल उतारा जाना है, अंतिम गंतव्य देश, निर्यातक का नाम, पता आदि।

जहाजी बिल्टी: यह एक ऐसा प्रलेख है जो जहाजी कंपनी द्वारा जारी जहाज पर माल प्राप्ति की रसीद है तथा साथ ही गंतव्य बंदरगाह तक उन्हें ले जाने की शपथ भी। यह वस्तु और स्वामित्व के अधिकार प्रलेख है इसीलिए यह बेचान एवं सुपुर्दगी द्वारा स्वतंत्र रूप से हस्तांतरणीय है।

वायुमार्ग विपत्र: जहाजी बिल्टी के समान वायुमार्ग विपत्र भी एक प्रलेख है जो एयर लाइन कंपनी की हवाई जहाज पर माल की प्राप्ति की विधिवत रसीद होती है तथा जिसमें वह गंतव्य हवाई अड्डे तक उन्हें ले जाने का वचन देती है। यह भी माल पर मालिकाना हक का प्रलेख है एवं यह बेचान एवं सुपुर्दगी द्वारा स्वतंत्र रूप से हस्तांतरणीय है।

समुद्री बीमा पालिसी: यह एक बीमा अनुबंध का प्रमाण पत्र होता है जिसमें बीमा कंपनी बीमाकृत को प्रतिफल, जिसे प्रीमियम कहते हैं के भुगतान के बदले किसी समुद्री जोखिम से हानि की क्षतिपूर्ति का वचन देता है।

गाड़ी टिकट : इसे गाड़ी चिट, वाहन अथवा गेट पास भी कहते हैं। इसे निर्यातक तैयार करता है तथा इसमें निर्यात सामान का विस्तृत विवरण होता है जैसे कि माल भेजने वाले का नाम, पैकेजों की संख्या, जहाजी बिल संख्या, गंतव्य बंदरगाह, एवं माल ढोने वाले वाहन का नंबर।

(ग) भुगतान संबंधी प्रलेख:

साख पत्र: साख पत्र आयातक के बैंक द्वारा दी जाने वाली गारंटी है जिसमें वह निर्यातक के बैंक को एक निश्चित राशि तक के निर्यात बिल के भुगतान की गारंटी देता है। यह अंतर्राष्ट्रीय सौदों के निपटान के लिए भुगतान का सबसे उपयुक्त एवं सुरक्षित साधन है।

विनिमय विपत्र: यह एक लिखित प्रपत्र है जिसमें इसको जारी करने वाला दूसरे पक्ष को एक निश्चित राशि, एक निश्चित व्यक्ति अथवा इसके धारक को भुगतान का आदेश देता है।

आयात निर्यात लेन-देन के संदर्भ में विनिमय विपत्र निर्यातक द्वारा आयातक पर लिखा जाता है जिसमें वह आयातक को एक निश्चित व्यक्ति अथवा इसके धारक को एक निश्चित राशि के भुगतान के लिए कहता है। निर्यात किए माल पर मालिकाना अधिकार देने वाले प्रलेखों को आयातक को केवल उस दशा में ही सौंपा जाता है जबकि वह बिल में दिए गए आदेश को स्वीकार कर लेता है।

बैंक का भुगतान संबंधित प्रमाण पत्र: यह प्रमाण पत्र यह प्रमाणित करता है कि एक निश्चित निर्यात प्रेषण से संबंधित प्रलेखों (विनिमय विपत्र को सम्मिलित कर) का प्रक्रामण कर लिया गया है (आयात को भुगतान के लिए प्रस्तुत कर दिया गया है) एवं विनिमय नियंत्रण नियमों के अनुरूप भुगतान प्राप्त कर लिया गया है।

12.2.2 आयात प्रक्रिया

आयात व्यापार से अभिप्राय बाह्य देश से माल के क्रय से है। आयात प्रक्रिया भिन्न-भिन्न देशों के संबंध में भिन्न-भिन्न होती है जो देश की आयात एवं कस्टम संबंधी नीतियों एवं अन्य वैधानिक आवश्यकताओं पर निर्भर करती है। आगे के परिच्छेदों में भारत की सीमाओं के भीतर माल लाने के लिए सामान्य आयात लेन-देनों के विभिन्न चरणों की विवेचना की गई है।

(क) व्यापारिक पूछताछ: सर्वप्रथम आयातक फर्म उन देशों एवं फर्मों के संबंध में सूचना एकत्रित करेगी जो उत्पाद विशेष का निर्यात करते हैं। यह सूचना उसे व्यापार निर्देशिका अथवा व्यापार संघ एवं व्यापार संगठनों से प्राप्त हो सकती है। निर्यातक फर्मों एवं देशों की पहचान करने के पश्चात आयातक फर्म निर्यातक फर्मों से उनके व्यापारिक पूछताछ के द्वारा निर्यात मूल्यों एवं निर्यात की शर्तों की सूचना प्राप्त करती है। व्यापारिक पूछताछ आयातक फर्म द्वारा निर्यातक फर्म के नाम लिखित प्रार्थना पत्र है जिसमें वह उस मूल्य एवं विभिन्न शर्तों की सूचना देने के लिए प्रार्थना करता है जिनपर निर्यातक माल का निर्यात करने के लिए तैयार है।

व्यापारिक पूछताछ का उत्तर आने के पश्चात निर्यातक निर्यात तैयार करता है एवं इसे आयातक को भेज देता है। इस निर्यात को प्रारूप बीजक कहते हैं। प्रारूप बीजक में एक ऐसा विलेख है जिसमें निर्यात की वस्तुओं की गुणवत्ता, श्रेणी, स्वरूप, आकार, वजन, एवं मूल्य तथा निर्यात की शर्तें लिखी होती हैं।

(ख) आयात लाइसेंस प्राप्त करना: कुछ वस्तुओं को स्वतंत्रतापूर्वक आयात किया जा सकता है जबकि अन्य के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है। यह जानने के लिए कि जिन वस्तुओं का वह आयात करना चाहता है उन पर आयात लाइसेंस लागू होता है अथवा नहीं आयातक वर्तमान आयात निर्यात नीति (ई.एक्स.आई.एम.) को देखेगा। यदि उन वस्तुओं के आयात के लिए लाइसेंस की आवश्यकता है तो वह आयात लाइसेंस प्राप्त करेगा। भारत में प्रत्येक आयातक (निर्यातक के लिए भी) के लिए विदेशी व्यापार महानिर्देशक अथवा क्षेत्रीय आयात-निर्यात लाइसेंसिंग प्राधिकरण के पास पंजीयन कराना एवं आयात निर्यात कोड नंबर प्राप्त करना आवश्यक है।

इस नंबर को अधिकांश आयात संबंधी प्रलेखों पर लिखना अनिवार्य होता है।

(ग) विदेशी मुद्रा का प्रबंध करना: आयात लेन-देन से संबंधित आपूर्तिकर्ता विदेश में रहता है वह भुगतान विदेशी मुद्रा में करना चाहेगा। विदेशी मुद्रा में भुगतान के लिए भारतीय मुद्रा का विदेशी मुद्रा में विनिमय करना होगा। भारत में सभी विदेशी विनिमय संबंधित लेन-देनों का भारतीय रिजर्व बैंक के विनिमय नियंत्रण विभाग द्वारा नियमन होता है। नियमों के अनुसार प्रत्येक आयातक के लिए विदेशी मुद्रा का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है। इस अनुमोदन को प्राप्त करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिकृत बैंक के पास विदेशी मुद्रा जारी करने के लिए आवेदन करना होगा। यह आवेदन एक निर्धारित फार्म भर कर आयात लाइसेंस के

साथ विनिमय नियंत्रण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार करना होता है। आवेदन की भली भाँति जाँच कर लेने के पश्चात बैंक आयात सौदे के लिए आवश्यक विदेशी मुद्रा का अनुमोदन कर देता है।

(घ) आदेश अथवा इंडेंट भेजना: लाइसेंस प्राप्त होने के पश्चात आयातक निर्धारित वस्तुओं की आपूर्ति हेतु निर्यातक के पास आयात आदेश अथवा इंडेंट भेजेगा। आयात आदेश में आदेशित वस्तुओं का मूल्य, मात्रा माप, श्रेणी एवं गुणवत्ता एवं पैकिंग, माल का लदान बंदरगाह जहाँ से माल को ले जाया जाएगा एवं जहाँ ले जाया जायेगा की सूचना दी जाती है। आयात आदेश को ध्यान से तैयार करना चाहिए जिससे कि किसी प्रकार संशय न रहे जिसके कारण आयातक एवं निर्यातक के बीच मतभेद पैदा हो सकते हैं।

(ङ) साख पत्र प्राप्त करना: आयातक एवं विदेशी आपूर्तिकर्ता के बीच भुगतान की शर्तों में साख पत्र तय किया गया है तो आयातक को अपने बैंक से साख पत्र प्राप्त करना होगा जिसे वह आगे आपूर्तिकर्ता को भेज देगा। जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है कि साख पत्र आयातक के बैंक द्वारा जारी की जाने वाली गारंटी है जिसमें वह निर्यातक के बैंक को निश्चित राशि तक के निर्यात बिल के भुगतान की गारंटी देता है।

यह अंतर्राष्ट्रीय सौदों के निपटान के लिए भुगतान का सबसे उपयुक्त एवं सुरक्षित साधन है। निर्यातक को इस प्रपत्र की आवश्यकता यह सुनिश्चित करने के लिए होती है कि भुगतान न होने की कोई जोखिम नहीं है।

(च) वित्त की व्यवस्था करना: माल के बंदरगाह पर पहुँचने पर निर्यातक को भुगतान करने के लिए आयातक को इस की अग्रिम व्यवस्था करनी चाहिए। भुगतान न किए जाने के कारण बंदरगाह से निकासी न होने की दशा में भारी विलंब शुल्क (अर्थात् जुर्माना) देना होता है। इससे बचने के लिए आयात के वित्तीयन के लिए अग्रिम योजना बनानी आवश्यक है।

(छ) जहाज से माल भेज दिए जाने की सूचना की प्राप्ति: जहाज में माल के लदान कर देने के पश्चात विदेशी आपूर्तिकर्ता आयातक को माल भेजने की सूचना भेजता है। माल प्रेषण सूचना पत्र में जो सूचनाएँ दी होती हैं वह हैं— बीजक संख्या, जहाजी बिल्टी /वायु मार्ग बिल नंबर एवं तिथि, जहाज का नाम एवं तिथि, निर्यात बंदरगाह, माल का विवरण एवं मात्रा तथा जहाज के प्रस्थान की तिथि।

(ज) आयात प्रलेखों को छुड़ाना: माल रवानगी के पश्चात विदेशी आपूर्तिकर्ता अनुबंध एवं साख पत्र की शर्तों को ध्यान में रखकर आवश्यक प्रलेखों का संग्रह तैयार करता है तथा उन्हें अपने बैंक को भेज देता है जो उन्हें आगे साख पत्र में निर्धारित रीति से भेजता है एवं प्रक्रमण करता है। इस संग्रह में सामान्यतः विनिमय विपत्र, वाणिज्यिक बीजक, जहाजी बिल्टी/वायुमार्ग बिल पैकिंग सूची उद्गम स्थान प्रमाणपत्र, समुद्री बीमा पॉलिसी आदि सम्मिलित होते हैं।

इन प्रलेखों के साथ जो विनिमय विपत्र भेजा जाता है उसे प्रलेखीय विनिमय विपत्र कहते हैं। जैसा कि पहले ही निर्यात प्रक्रिया में

बताया जा चुका है प्रलेखीय विनिमय विपत्र दो प्रकार का हो सकता है— भुगतान के बदले प्रलेख (दर्श विपत्र) एवं स्वीकृति के बदले प्रलेख (मुद्दती विपत्र)। दर्श विपत्र में लेखक आदेशक बैंक को भुगतान प्राप्त हो जाने पर ही आयातक को आवश्यक प्रलेखों को सौंपने का आदेश देता है। लेकिन मुद्दती विपत्र की दशा में वह बैंक को प्रलेखों को आयातक द्वारा विनिमय विपत्र के स्वीकार किए जाने पर ही सौंपने का आदेश देता है। प्रलेखों को प्राप्त करने के लिए विनिमय विपत्र की स्वीकृति को आयात प्रलेखों का भुगतान कहते हैं। भुगतान हो जाने के पश्चात आयात संबंधी प्रलेखों को आयातक को सौंप देता है।

(झ) माल का आगमन: विदेशी आपूर्तिकर्ता माल को अनुबंध के अनुसार जहाज से भेजती है। वाहन (जहाज अथवा हवाई जहाज) का अभिरक्षक गोदी अथवा हवाई अड्डे पर तैनात देख-रेख अधिकारी को माल के आयातक देश में पहुँच जाने की सूचना देता है। वह उन्हें एक विलेख सौंपता है जिसे आयातित माल की सामान्य सूची कहते हैं। यह वह प्रलेख है जिसमें आयातित का विस्तृत विवरण दिया होता है। इसी विलेख के आधार पर ही माल को उतरवाया जाता है।

(ज) सीमा शुल्क निकासी एवं माल को छुड़ाना: भारत में आयातित माल को भारत की सीमा में प्रवेश के पश्चात सीमा शुल्क निकासी से गुजरना होता है। सीमा शुल्क निकासी एक जटिल प्रक्रिया है तथा इसके लिए कई औपचारिकताओं को पूरा करना होता है। इस

लिए उचित यही रहेगा कि आयातक निकासी एवं लदाने वाले एजेंट की नियुक्ति करें क्योंकि यह इन औपचारिकताओं से भली भाँति परिचित होता है एवं सीमा शुल्क से माल की निकासी में इनकी अहम् भूमिका होती है।

सर्वप्रथम आयातक सुपुर्दगी आदेश पत्र प्राप्त करेगा जिसे सुपुर्दगी के लिए बेचान भी कहते हैं। सामान्यतः जब जहाज बंदरगाह पर पहुँचता है तो आयातक जहाजी बिल्टी के पृष्ठ भाग पर बेचान करा लेता है। यह बेचान संबंधित जहाजी कंपनी के द्वारा किया जाता है। कुछ मामलों में जहाजी कंपनी बिल का बेचान करने के स्थान पर एक आदेश पत्र जारी कर देती है। यह आदेश पत्र आयातक को माल की सुपुर्दगी का लेने का अधिकार देता है। यह बात अलग है कि आयातक को माल के अपने अधिकार में लेने से पहले भाड़ा चुकाना होगा। (यदि इसका भुगतान निर्यातक ने नहीं किया है।)

आयातक को गोदी व्यय (डॉक व्यय) का भी भुगतान करना होगा जिसके बदले उसे बंदरगाह न्यास शुल्क की रसीद मिलेगी। इस के लिए आयातक अवतरण एवं जहाजी शुल्क कार्यालय में एक फार्म को भरकर उसकी दो प्रति जमा करानी होती है। इसे आयात आवेदन कहते हैं। अवतरण एवं जहाजी शुल्क कार्यालय गोदी अधिकारियों की सेवाओं के बदले शुल्क लगाती है जिसे आयातक वहन करता है। डॉक व्यय को भुगतान कर देने पर आवेदन की एक प्रति जो प्राप्ति की रसीद होती है, आयातक को लौटा दी जाती है। इस रसीद को बंदरगाह न्यास शुल्क रसीद कहते हैं। आयातक इसके पश्चात्

आयात शुल्क निर्धारण हेतु प्रवेश बिल (बिल ऑफ एंट्री) फार्म भरेगा। एक मूल्यांकनकर्ता सभी विलेखों का ध्यान से अध्ययन कर निरीक्षण के लिए आदेश देगा। आयातक मूल्यांकनकर्ता के द्वारा तैयार विलेख को प्राप्त करेगा और यदि सीमा शुल्क देना है तो उसका भुगतान करेगा।

आयात शुल्क का भुगतान कर देने के पश्चात प्रवेश बिल को गोदी अधीक्षक के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। अधीक्षक इसे चिन्हित करेगा तो निरीक्षक से आयातित माल का भौतिक रूप में निरीक्षण करने के लिए कहेगा। निरीक्षक प्रवेश बिल पर ही अपना अनुवेदन लिख देगा। आयातक अथवा उसका प्रतिनिधि इस प्रवेश बिल को बंदरगाह अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत करेगा। आवश्यक शुल्क ले लेने के पश्चात वह अधिकारी माल की सुपुर्दगी का आदेश दे देगा।

12.3 विदेशी व्यापार प्रोन्नति प्रोत्साहन एवं संगठनात्मक समर्थन

निर्यात में प्रतिस्पर्धा की योग्यता में वृद्धि के लिए व्यावसायिक फर्मों की सहायता के लिए देश में कई प्रेरणा एवं योजनाएँ प्रचलित हैं। समय-समय पर सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय में संलग्न फर्मों को विपणन में सहायता एवं बुनियादी ढाँचागत समर्थन प्रदान करने के लिए संगठन स्थापित किए हैं।

आगे के अनुभागों में प्रमुख विदेशी व्यापार प्रोन्नति योजनाओं एवं संगठनों पर चर्चा की गई है।

12.3.1 विदेशी व्यापार प्रोन्नति विधियाँ एवं योजनाएं

व्यावसायिक फर्मों के कार्यों को सुगम बनाने के लिए सरकार अपनी आयात-निर्यात नीति में विभिन्न व्यापार प्रोन्नति उपायों एवं योजनाओं

आयात लेन देनों में प्रयुक्त प्रमुख प्रलेख व्यापारिक पूछताछ: यह आयातक की ओर से निर्यातक को एक लिखित प्रार्थना जिसमें वह निर्यातक द्वारा निर्यात की वस्तुओं के मूल्य एवं विभिन्न शर्तों की सूचना प्रदान करने के लिए कहता है।

प्रारूप बीजक: यह वह प्रलेख है जिसमें निर्यात के माल के मूल्य, गुणवत्ता, श्रेणी, डिजाइन, माप, भार तथा निर्यात की शर्तों का विस्तृत वर्णन होता है।

आयात आदेश अथवा इंडेंट: यह वह विलेख है जिसमें क्रेता (आयातक) आपूर्तिकर्ता (निर्यातक) को इसमें मांगी गई वस्तुओं की आपूर्ति का आदेश देता है। इस आदेश इंडेंट में आयात की वस्तुओं, मात्रा एवं गुणवत्ता, मूल्य, माल लदान की पद्धति, पैकिंग की प्रकृति भुगतान का माध्यम आदि के संबंध में सूचना दी जाती है।

साख पत्र: साख पत्र आयातक के बैंक द्वारा निर्यातक बैंक को एक निश्चित राशि के निर्यातक बिल के भुगतान की गारंटी है। इसे निर्यातक आयातक को वस्तुओं के निर्यात के बदले में जारी करता है।

माल प्रेषण की सूचना: यह निर्यातक द्वारा आयातक को भेजा जाने वाला प्रलेख है जिसमें वह सूचित करना है कि माल का लदान करा दिया गया है। माल लदान/प्रेषण सूचना पत्र में बीजक नंबर, जहाजी बिल्टी/वायुमार्ग बिल संख्या एवं तिथि, जहाज का नाम एवं तिथि, निर्यातक बंदरगाह, माल का विवरण एवं मात्रा एवं जहाज की यात्रा प्रारंभ तिथि।

जहाजी बिल्टी: यह जहाज के नायक द्वारा तैयार एवं हस्ताक्षरयुक्त विलेख होता है जिसमें वह माल के जहाज पर प्राप्ति को स्वीकार करता है। इसमें माल को निर्धारित बंदरगाह तक ले जाने से संबंधित शर्तें दी हुई होती हैं।

हवाई मार्ग बिल: जहाजी बिल्टी के समान वायु मार्ग विपत्र भी एक प्रलेख है जो एयर लाइन कंपनी की हवाई जहाज पर माल प्राप्ति की विधिवत रसीद होती है तथा जिसमें वह माल को गंतव्य हवाई अड्डे तक ले जाने का वचन देती हैं। यह भी माल पर मालिकाना हक का प्रलेख है एवं यह भी बेचान एवं सुपुर्दगी द्वारा स्वतंत्र रूप से हस्तांतरणीय है।

प्रवेश बिल: यह सीमा शुल्क कार्यालय द्वारा आयातक को दिया जाने वाला एक फॉर्म होता है जिसे आयातक माल की प्राप्ति पर भरता है। इसकी तीन प्रतियाँ होती हैं तथा इसे सीमा शुल्क कार्यालय में जमा कराया जाता है। इसमें जो सूचना दी हुई होती है वह है आयातक का नाम एवं पता, जहाज का नाम, पैकेजों की संख्या पैकेज पर चिन्ह, माल की मात्रा एवं मूल्य, निर्यातक का नाम एवं पता, गंतव्य बंदरगाह एवं देय सीमा शुल्क।

विनिमय विपत्र: यह एक लिखित प्रपत्र है जिसमें इसको जारी करने वाला दूसरे पक्ष को एक निश्चित राशि एक निश्चित व्यक्ति अथवा इसके धारक को भुगतान के लिए कहता है। आयात निर्यात लेन-देन के संदर्भ में यह निर्यात द्वारा आयातक पर लिखा जाता है जिसमें वह आयातक को एक निश्चित राशि एक निश्चित व्यक्ति अथवा इसके धारक को भुगतान करने का आदेश देता है। निर्यात किए गए माल पर मालिकाना अधिकार देने वाले प्रलेखों को आयातक को केवल उस दशा में ही सौंपा जाता है जबकि वह बिल में दिए गए आदेश को स्वीकृति प्रदान कर दे।

दर्श बिल: यह विनिमय विपत्र का वह प्रकार है जिसमें इसका लेखक बैंक को आयातक को संबंधित प्रलेख बिल को भुगतान कर देने पर ही देने का आदेश देता है।

मुद्दती बिल: यह विनिमय विपत्र का वह प्रकार है जिसमें बिल को स्वीकार कर देने पर ही सौंपने के आदेश देता है।

आयातित माल की सूची: यह वह प्रलेख है जिसमें आयातित माल का विस्तृत विवरण दिया होता है। इसी के आधार पर माल को जहाज से उतरवाया जाता है।

डॉक चालान: सीमा शुल्क संबंधी औपचारिकताओं की पूर्ति पर डॉक व्यय का भुगतान किया जाता है। डॉक/गोदी व्यय का भुगतान करते समय आयातक अथवा उसका निकासी एजेंट डॉक व्यय की राशि एक चालान अथवा फार्म में दर्शाता है जिसे डॉक चालान कहते हैं।

की घोषणा करती है। वर्तमान में प्रचलित प्रमुख व्यापार प्रोन्नति उपाय (विशेषतः निर्यात से संबंधित) निम्न लिखित हैं:

(क) शुल्क वापसी योजना: निर्यात की वस्तुओं को देश के भीतर उपभोग नहीं किया जाता। इन पर किसी प्रकार का उत्पादन शुल्क एवं सीमा शुल्क का भुगतान नहीं करना होता। निर्यात की वस्तुओं पर यदि किसी प्रकार के शुल्क का भुगतान कर दिया गया है तो उसे निर्यातक को लौटा दिया जायेगा लेकिन इसके लिए उसे संबंधित अधिकारियों को निर्यात का प्रमाण देना होगा। इस प्रकार की वापसी को शुल्क वापसी कहते हैं। कुछ प्रमुख शुल्क वापसियों में निर्यात के लिए वस्तुओं पर उत्पादन शुल्क, कच्चे माल एवं निर्यात हेतु उत्पादन के लिए आयातित मशीनों पर सीमा शुल्क का भुगतान सम्मिलित हैं। अंतिम वापसी को सीमा शुल्क वापसी भी कहते हैं।

(ख) बांड योजना के अंतर्गत निर्यात हेतु विनिर्माण: इस सुविधा के अनुसार फर्में वस्तुओं का उत्पादन शुल्क अथवा अन्य कोई शुल्क देय कर सकती हैं जो फर्में इस सुविधा का लाभ उठाना चाहती है उन्हें ----- (अर्थात् बांड) देना होता है कि वह वस्तुओं का उत्पादन निर्यात के उद्देश्य से कर रहे हैं तथा वह इनका वास्तव में निर्यात करेंगे।

(ग) विक्रय कर के भुगतान से छूट: निर्यात की वस्तुओं पर विक्रय कर नहीं लगता। यही नहीं काफी लंबी अवधि तक निर्यात क्रियाओं से अर्जित आय पर आयकर भी नहीं देना होता था। अब आयकर से छूट केवल 100 प्रतिशत

निर्यात मूलक इकाइयों एवं निर्यात प्रवर्तन क्षेत्रों / विशिष्ट आर्थिक क्षेत्रों में स्थापित इकाइयों को ही कुछ चुने हुये वर्षों के लिए ही मिलती है। अब आगे के परिच्छेदों में हम इन इकाइयों की विवेचना करेंगे।

(घ) अग्रिम लाइसेंस योजना: इस योजना के अंतर्गत निर्यातक को निर्यात के लिए वस्तुओं के उत्पादन घरेलू एवं आयातित आगत की बिना किसी शुल्क का भुगतान किए आपूर्ति की छूट है। निर्यातक को निर्यात के लिए वस्तुओं के विनिर्माण हेतु वस्तुओं के आयात पर सीमा शुल्क नहीं देना होता। अग्रिम लाइसेंस दोनों प्रकार के निर्यातकों को उपलब्ध है— जो नियमित रूप से निर्यात करते हैं एवं जो तदर्थ निर्यात करते हैं। नियमित निर्यातक अपने उत्पादन कार्यक्रम के आधार पर इस प्रकार का लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। कभी-कभी निर्यात करने वाली फर्में भी विशिष्ट निर्यात आदेशों के विरुद्ध इस प्रकार का लाइसेंस प्राप्त कर सकती है।

(ङ) निर्यात संवर्धन पूँजीगत वस्तुएँ योजना: इस योजना का मुख्य उद्देश्य निर्यात उत्पादन के लिए पूँजीगत वस्तुओं के आयात को प्रोत्साहन देना है। यह योजना निर्यात फर्मों को पूँजीगत वस्तुओं के आयात को प्रोत्साहन देना है। यह योजना निर्यात फर्मों को पूँजीगत वस्तुओं को नीची दर अथवा शून्य सीमा शुल्क पर आयात की अनुमति देती है। लेकिन शर्त है कि वह वास्तविक उपयोगकर्ता होना चाहिए तथा वह कुछ विशिष्ट निर्यात अनुग्रहों को पूरा करता हो। यदि विनिर्माता इन शर्तों को पूरा करता है तो

वह पूँजीगत वस्तुओं को या तो शून्य अथवा रियायती दर पर आयात कर चुका कर आयात कर सकता है। समर्थक विनिर्माता एवं सेवा प्रदानकर्ता भी इस योजना के अंतर्गत पूँजीगत वस्तुओं के आयात के लिए योग्य हैं। यह योजना विशेष रूप से उन औद्योगिक इकाइयों के लिए उपयोगी है जो अपने वर्तमान संयंत्र एवं मशीनरी के आधुनिकीकरण एवं संवर्धन में रूचि रखते हैं। अब सेवा निर्यात फर्म भी, निर्यात के लिए सॉफ्टवेयर विकसित करने के लिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रणाली जैसी वस्तुओं के आयात के लिए इस सुविधा का लाभ उठा सकती है।

(च) निर्यात फर्मों को निर्यात गृह, एवं सुपर स्टार व्यापार गृहों के रूप में मान्यता देने की योजना: भली-भाँति स्थापित निर्यातकों को प्रोन्नति एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उनके उत्पादों के विपणन में सहायता के लिए सरकार कुछ चुनीदां निर्यातक फर्मों को निर्यातगृह, व्यापार गृह एवं सुपर स्टार व्यापार गृह के स्तर की मान्यता देती है। यह सम्मान जनक स्थान किसी फर्म को तब दिया जाता है जब वह पिछले कुछ चुने हुए वर्षों में निर्धारित औसत निर्यात निष्पादन को प्राप्त कर लेती है। न्यूनतम पिछली औसत निर्यात निष्पादन को प्राप्त करने के साथ-साथ ऐसी निर्यातक फर्मों को आयात-निर्यात नीति में उल्लिखित अन्य शर्तों को भी पूरा करना होगा। निर्यात संवर्धन के लिए विपणन मौलिक ढाँचा एवं विशेषज्ञता के विकास को ध्यान में रखते हुए विभिन्न वर्गों के निर्यात गृहों को मान्यता प्रदान की गई है। निर्यात संवर्धन के लिए इन

गृहों को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दी गई है। इन्हें उच्च श्रेणी के पेशेवर एवं गतिशील संस्थानों के रूप में कार्य करना होता है तथा यह निर्यात के उत्थान के लिए एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में कार्य करते हैं।

(छ) निर्यात सेवाएँ: निर्यात सेवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए विभिन्न श्रेणी के निर्यात गृहों को मान्यता दी गई है। इन को मान्यता सेवा प्रदानकर्ताओं के निर्यात निष्पादन के आधार पर दी गई है। इन्हें इनके निर्यात निष्पादन के आधार पर सेवा निर्यातगृह अंतर्राष्ट्रीय सेवा निर्यात गृह, अंतर्राष्ट्रीय स्तर सेवा निर्यात गृह के नाम दिए गए हैं।

(ज) निर्यात वित्त: निर्यातकों को वस्तुओं के उत्पादन के लिए वित्त की आवश्यकता होती है। माल के लदान कर देने के पश्चात भी वित्त की आवश्यकता होती है क्योंकि आयातक से भुगतान आने में कुछ समय लग सकता है। इसीलिए अधिकृत बैंकों द्वारा निर्यातकों को दो प्रकार का निर्यात वित्त उपलब्ध कराया जाता है। इन्हें लदानपूर्ण वित्त या पैकेजिंग साख एवं लदान के पश्चात वित्त कहते हैं।

जहाज में लदान से पूर्व वित्त में निर्यातक को वित्त/क्रय, प्रक्रियण, विनिर्माण अथवा पैकेजिंग के लिए उपलब्ध कराया जाता है। माल लदान पश्चात वित्त योजना के अंतर्गत माल लदान के पश्चात साख की तिथि को बढ़ाने से उपलब्ध कराई जाती हैं। निर्यातकों को वित्त ब्याज की रियायती दरों पर उपलब्ध रहता है।

(झ) निर्यात प्रवर्तन क्षेत्र: निर्यात प्रवर्तन क्षेत्र वह औद्योगिक परिक्षेत्र होते हैं जो राष्ट्रीय

सीमा शुल्क क्षेत्र में अंतः क्षेत्र का सृजन करते हैं। यह सामान्यतः समुद्री बंदरगाह अथवा हवाई अड्डे के समीप स्थित होते हैं। इनका उद्देश्य कम लागत पर निर्यात उत्पादन के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक शुल्क रहित वातावरण प्रदान करना है। इससे निर्यात प्रवर्तन क्षेत्रों (ई.पी.जैडस) के उत्पाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गुणवत्ता एवं मूल्य दोनों में प्रतिस्पर्धा योग्य किए गए हैं जिनमें प्रमुख हैं: कांदला (गुजरात), सांताक्रुज (मुंबई), फाल्टा (पश्चिमी बंगाल), नौएडा (उ.प्र.), कोचीन (केरल), चेन्नैई (तमिलनाडु) एवं विशखापट्टनम् (आंध्र प्रदेश)।

सांताक्रुज क्षेत्र केवल इलैक्ट्रॉनिक वस्तुओं एवं हीरा एवं जेवरात की मर्दों के लिए है। अन्य ई.पी.जैड क्षेत्र अनेकों प्रकार की वस्तुओं का व्यापार करते हैं। हाल ही में ई.पी.जैडस को विशेष आर्थिक क्षेत्र (स्पेशल इकोनॉमिक जोन ई.पी.जैड) में परिवर्तित कर दिया गया है जो निर्यात प्रवर्तन क्षेत्रों का और अधिक अन्नत स्वरूप है। ई.पी.जैड. आयात निर्यात को शासित करने वाले नियमों, श्रम एवं बैंकिंग से संबंधित को छोड़कर, मुक्त हैं। स. सरकार ने ई.पी.जैड को विकसित करने के लिए निजी, राज्य अथवा संयुक्त क्षेत्रों को अनुमति दे दी है। निजी ई.पी. जैड के लिए गठित अंतः मंत्रालय कमेटी पहले ही मुंबई, सूरत एवं कांचीपुरम में निजी ई.पी. जैड स्थापित करने के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे चुकी है।

(ज) 100 प्रतिशत निर्यात परक इकाइयाँ (100 प्रतिशत ई.ओ.यूस): 100 प्रतिशत निर्यात परक इकाइयाँ योजना को 1981 में ई.पी.जैड.

योजना की पूरक के रूप में लागू किया गया। यह उत्पादन के समान क्षेत्रों को ही अपनाता है लेकिन स्थानीय करार की दृष्टि से वृहत विकल्प देता है जिनका संबंध जिन निर्धारक तत्वों से होता है वे हैं—कच्चे माल के स्रोत, बंदरगाह, पृष्ठ प्रदेश सुविधाएँ औद्योगिकी में दक्षता की उपलब्धता, औद्योगिक आधार का होना एवं इस परियोजना के लिए भूमि के बड़े क्षेत्र की आवश्यकता ई.ओ.यू. की स्थापना निर्यात के लिए अतिरिक्त उत्पादन क्षमता पैदा करने की दृष्टि से की गई है। इसके लिए उचित नीतिगत कार्य ढांचा, परिचालन में लोचपूर्णता एवं प्रेरणा उपलब्ध कराई जाती है।

12.3.2 संगठन समर्थन

भारत सरकार हमारे देश में विदेशी व्यापार की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए समय-समय पर विभिन्न संस्थानों की स्थापना करती रही है। कुछ महत्वपूर्ण संस्थान निम्न है: (क) वाणिज्य विभाग: भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय में वाणिज्य विभाग सर्वोच्च संस्था है जो देश के विदेशी व्यापार एवं इससे संबंधित सभी मामलों के लिए उत्तरदायी है। इस पर दूसरे देशों के साथ वाणिज्यिक संबंध बढ़ाने, राज्य व्यापार, निर्यात प्रोन्नति उपाय एवं निर्यात परक उद्योगों एवं वस्तुओं के नियमन का उत्तरदायित्व होता है। यह विभाग विदेशी व्यापार के लिए नीतियाँ निर्धारित करता है विशेष रूप से देश की आयात-निर्यात नीति बनाता है।

(ख) निर्यात प्रोन्नति परिषद् (ई.पी.सी): निर्यात प्रोन्नति परिषद् गैर-लाभ संगठन होते हैं जिनको कंपनी अधिनियम अथवा समिति पंजीयन

अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण कराया जाता है। इन परिषदों का मूल उद्देश्य इनके अधिकार क्षेत्र के विशिष्ट उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना एवं विकसित करना है। वर्तमान में 21 ई.पी.सी. है। जो विभिन्न वस्तुओं में व्यवहार करती हैं।

(ग) सामग्री बोर्ड: यह वह बोर्ड है जिनकी स्थापना भारत सरकार द्वारा परंपरागत वस्तुओं के उत्पादन के विकास एवं उनके निर्यात के लिए गई है। ई.पी.सी. के पूरक होता है। इनके कार्य भी ई.पी.सी. के कार्यों के समान होते हैं। आज भारत में सात सामग्री बोर्ड हैं ये हैं कॉफी बोर्ड, रबड बोर्ड, तंबाकू बोर्ड, मसाले बोर्ड, केंद्रीय सिल्क बोर्ड, चाय बोर्ड एवं कोयल बोर्ड।

(घ) निर्यात निरीक्षण परिषद् (ई.आई.सी): निर्यात निरीक्षण परिषद् की स्थापना भारत सरकार द्वारा निर्यात गुणवत्ता, नियंत्रण एवं निरीक्षण अधिनियम 1963 की धारा 3 के अंतर्गत की गई थी। इस परिषद् का उद्देश्य गुणवत्ता नियंत्रण एवं लदान पूर्व निरीक्षण के माध्यम से निर्यात व्यवसाय का संवर्धन करना है। निर्यात की वस्तुओं के गुणवत्ता नियंत्रण एवं पूर्व लदान निरीक्षण संबंधी क्रियाओं पर नियंत्रण हेतु यह सर्वोच्च संस्था है। कुछ वस्तुओं को छोड़कर शेष सभी निर्यात की वस्तुओं के लिए ई.आई.सी. की स्वीकृति लेनी अनिवार्य है।

(ङ) भारतीय व्यापार प्रोन्नति संगठन (आई.टी.पी.ओ): इस संगठन की स्थापना भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय द्वारा कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत जनवरी 1992 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में

है। आई. टी.पी.ओ का निर्माण दो पूर्व एजेंसियों व्यापार विकास अधिकरण एवं भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण को मिलाकर किया गया उद्योग एवं सरकार से नियमित एवं नजदीकी आदान-प्रदान हैं। यह देश के अंदर तथा देश से बाहर व्यापार मेले एवं प्रदर्शनियों का आयोजन कर औद्योगिक क्षेत्र की सेवा करता है। यह निर्यात फर्मों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले एवं प्रदर्शनियों में भाग लेने में सहायता करती है, नई वस्तुओं के निर्यात को विकसित करती है, वाणिज्य व्यवसाय संबंधी आज तक की सूचना उपलब्ध करता है एवं समर्थ प्रदान करता है। इसके पाँच क्षेत्रीय कार्यालय हैं जो मुंबई, बैंगलोर, कोलकत्ता, कानपुर एवं चेन्नई में हैं तथा चार अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय हैं जो जर्मनी जापान, यू.ई. एवं यू.ए.एस. में स्थित हैं।

(च) भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान: भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान की स्थापना 1963 में भारत सरकार ने समिति पंजीयन अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत स्वायत्त संस्था के रूप में की थी। इसका मूल उद्देश्य देश के विदेशी व्यापार प्रबंध को एक पेशे का स्वरूप प्रदान करना है। इसे हाल ही में मांद विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रशिक्षण देती है, अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय के विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान करती है एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं निवेश संबंधित आंकड़ों का विश्लेषण एवं प्रसार करती है।

(छ) भारतीय पैकेजिंग संस्थान (आई. आई.पी): भारतीय पैकेजिंग संस्थान की स्थापना 1966 में भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय,

एवं भारतीय पैकेजिंग उद्योग एवं संबंधित हितों के संयुक्त प्रयास से एक राष्ट्रीय संस्थान के रूप में स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय एवं प्रमुख प्रयोगशाला मुंबई में एवं तीन क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं कलकत्ता, दिल्ली एवं चेन्नई में स्थित हैं। यह पैकेजिंग एवं जांच का यह प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान है। इसके पास अद्भुत आधारगत सुविधाएँ हैं जो पैकेज विनिर्माण एवं पैकेज उपयोग, उद्योगों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। यह राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार की पैकेजिंग की जरूरतों को पूरा करती हैं। यह औद्योगिकी सलाह देना, पैकेजिंग के विकास की जाँच सेवाएँ, प्रशिक्षण एवं शैक्षणिक कार्यक्रम संवर्धन इनामी प्रतियोगिता, सूचना सेवाएँ एवं अन्य सहायक क्रियाएँ करती हैं।

(ज) राज्य व्यापार संगठन (एस.टी.सी.): भारत की बड़ी संख्या में घरेलू फर्मों के लिए विश्व बाजार की प्रतियोगिता में टिकना कठिन था। इसके साथ ही वर्तमान व्यापार मार्ग/माध्यम निर्यात, प्रोन्नति एवं यूरोप के देशों को छोड़कर अन्य देशों के साथ व्यापार में विविधता लाने के लिए वर्तमान माध्यम अनुपयुक्त थे। इन परिस्थितियों में मई 1956 में राज्य व्यापार संगठन की स्थापना की गई थी। एस.टी.सी. का मुख्य उद्देश्य विश्व के विभिन्न व्यापार में, भागीदारों में व्यापार, विशेषतः निर्यात को बढ़ावा देना है। बाद में सरकार ने ऐसे अन्य कई संगठनों की स्थापना की जैसे मैटल एवं मिनरल व्यापार निगम (एम.एम.टी.सी), हैंडलूम एवं हैंडीक्राफ्ट निर्यात निगम (एच.एच.ई.सी)

12.4 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संस्थान एवं व्यापार समझौते

1914 के प्रथम विश्व युद्ध एवं 1939-45 के द्वितीय विश्व युद्ध में पूरे विश्व में जीवन एवं संपत्ति की भारी तबाही हुई। विश्व की लगभग सभी अर्थव्यवस्थाएँ इससे बुरी तरह प्रभावित हुई। संसाधनों की कमी के कारण राष्ट्र कोई पुनर्निर्माण एवं विकास कार्य करने की स्थिति में नहीं थे। विश्व की मुद्रा प्रणाली में व्यवधान के कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर विपरीत प्रभाव पड़ा। विनिमय दर की कोई सर्वमान्य प्रणाली नहीं थी। ऐसे हालात में चवालीस देशों के प्रतिनिधि जे.एम.कीन्स-जो एक नामी अर्थशास्त्री थे, की अगुआई में विश्व में शांति एवं सामान्य वातावरण की पुनः स्थापना के लिए उपाय ढूँढ़ने के लिए ब्रैटनवूडस, न्यू हैम्पशायर में एकत्रित हुए।

मीटिंग का समापन तीन अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की स्थापना के साथ हुआ जिनके नाम हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आई.एम.एफ.) पुनर्निर्माण एवं विकास का अंतर्राष्ट्रीय बैंक (आई.बी.आर.डी.) एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन (आई.टी.ओ.) वे इन तीन संगठनों को विश्व के आर्थिक विकास के तीन स्तंभ मानते थे। विश्व बैंक को युद्ध के कारण नष्ट अर्थ व्यवस्थाओं विशेषतः यूरोप के पुनर्निर्माण का कार्य सौंपा गया तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को विश्व व्यापार के विस्तार का मार्ग प्रशस्त करने के लिए विनिमय दरों में स्थिरता लाने का दायित्व सौंपा गया। आई.टी.ओ. का मुख्य कार्य, जिसकी कल्पना उन्होंने उस समय की थी, सदस्य देशों के बीच उस समय व्यवहार

में लाई जाने वाली विभिन्न प्रतिबंध एवं पक्षपात पूर्ण व्यवहार पर अधिकार प्राप्त कर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना एवं सुगम बनाना था।

प्रथम दो संस्थान अर्थात् आई.बी.आर.डी. एवं आई.एम.एफ. तुरंत अस्तित्व में आ गए लेकिन डब्ल्यू.आर.ओ. के विचार को अमेरिका के विरोध के कारण मूर्त रूप प्रदान नहीं किया जा सका। संगठन के स्थान पर ऊँचे सीमा शुल्क तथा अन्य प्रतिबंधों से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को मुक्त करने की व्यवस्था उभरकर आई। इस व्यवस्था को जनरल एग्रीमेंट फॉर टेरिफ एंड ट्रेड का नाम दिया गया। भारत इन तीन संस्थाओं के संस्थापक सदस्यों में से एक है। इन तीन संस्थाओं के प्रमुख उद्देश्य एवं कार्यों की विस्तार से विवेचना आगे के अनुभागों में की गई है।

12.4.1 विश्व बैंक

पुर्ननिर्माण एवं विकास का अंतर्राष्ट्रीय बैंक (आई.बी.आर.डी.) जिसे विश्व बैंक भी कहते हैं। वूरे टन वूड कान्फ्रेंस का एक स्वप्न था। इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना का मुख्य उद्देश्य युद्ध से प्रभावित यूरोप के देशों की अर्थव्यवस्था

पुर्ननिर्माण एवं विश्व के अविकसित देशों को विकास के कार्य में सहायता प्रदान करना था। प्रारंभ के कुछ वर्ष विश्व बैंक यूरोप के युद्ध से तबाह देशों को इससे उभरने के कार्य में जुटा रहा 1950 तक वह इस कार्य में सफलता प्राप्त कर लेने के पश्चात विश्व बैंक ने अविकसित देशों के विकास पर ध्यान देना प्रारंभ किया इसने यह माना कि जितना अधिक इन देशों में निवेश करेंगे विशेष रूप से सामाजिक क्षेत्र जैसे कि स्वास्थ्य एवं शिक्षा उतना ही अधिक विकासशील देशों में आवश्यक सामाजिक एवं आर्थिक बदलाव लाना संभव होगा। अविकसित देशों में निवेश की इस पहल को मूर्त रूप देने के लिए 1960 में अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ (आई.डी.ए.) का निर्माण किया गया। आई.डी.ए. की स्थापना का मुख्य उद्देश्य उन देशों को रियायती दरों पर ऋण उपलब्ध कराना था जिनकी प्रति व्यक्ति आय नाजुक स्तर से भी नीचे है। रियायती शर्तों से अभिप्राय है:

(क) ऋण को लौटाने की अवधि आई.बी.आर.डी. की निर्धारित अवधि से भी कहीं अधिक लंबी है।

दर्श 12.1 विश्व बैंक एवं इसकी सहयोगी संस्थाएँ

संस्थान	स्थापना वर्ष
पुर्न निर्माण एवं विकास का अंतर्राष्ट्रीय बैंक (आई.बी.आर.डी.)	1945
अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (आई.एफ.सी.)	1956
अंतर्राष्ट्रीय विकास निगम (आई.डी.ए.)	1960
बहु राष्ट्रीय निवेश गारंटी एजेंसी (एम.आई.जी.ए.)	1988
निवेश विवाद का अंतर्राष्ट्रीय केंद्र (आई.सी.एस.आई.डी.)	1966

(ख) ऋण लेने वाले देश के लिए इन ऋणों पर ब्याज देने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से आई.डी.ए. गरीब देशों को ब्याज मुक्त दीर्घ अवधि ऋण देती है लेकिन यह वाणिज्यिक दर से ब्याज लेता है।

कालांतर में विश्व बैंक की छत्र छाया में अतिरिक्त संगठनों की स्थापना की गई। आज विश्व बैंक पाँच अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का समूह है जो विभिन्न देशों को वित्त प्रदान करते हैं। यह समूह एवं इसकी सहयोगी संस्थाओं, जिनका मुख्यालय वाशिंगटन डी.सी. में है एवं जो विभिन्न वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं, की सूची दर्श 11.2 में दी गई है।

विश्व बैंक के कार्य: जैसा कि पहले बताया जा चुका है विश्व बैंक को आर्थिक विकास एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र के विस्तार का कार्य सौंपा गया है। अपने आरंभ के वर्षों में इसने मूलभूत ढाँचागत सुविधाओं जैसे ऊर्जा, परिवहन एवं अन्य पर अधिक ध्यान दिया। इसमें कोई शंका नहीं कि इसका लाभ अविकसित देशों को भी मिला है लेकिन इन देशों में कमजोर प्रशासनिक ढाँचे, संस्थागत कार्य योजना की कमी एवं निपुण श्रम की कमी के कारण संतोष जनक परिणाम नहीं निकले। अविकसित देश कृषि एवं लघु उद्योगों पर अधिक आश्रित है लेकिन इन पर मूलभूत ढाँचे के विकास के प्रयत्न का शायद ही कोई प्रभाव पड़ता हो। इस समस्या को देखते हुए बाद में विश्व बैंक ने संसाधनों को इन देशों में औद्योगिक एवं कृषि के क्षेत्र में विकास में लगाने का निर्णय लिया। विभिन्न देशों को रोकड़ फसल उगाने के लिए सहायता

दी जाती है, जिससे कि उनकी आय में वृद्धि हों। एवं लघु पैमाने के उद्यमों को संसाधन उपलब्ध कराता है।

आज विश्व बैंक द्वारा प्रदत्त सेवाओं में कई गुणा वृद्धि हुई है। अब यह केवल मूलभूत ढाँचे के विकास, कृषि, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने तक सीमित नहीं रहा है बल्कि अब इसका महत्वपूर्ण योगदान अन्य बहुत से क्षेत्रों में भी है जैसे कि उत्पादकता में वृद्धि के द्वारा ग्रामीण गरीबी को दूर करना, गावों में गरीब लोगों की आय में वृद्धि करना, तकनीकी सहायता प्रदान करना एवं अनुसंधान एवं सहकारिता उद्यमों को प्रारंभ करना आदि।

12.4.2 अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ:

अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ (आई.डी.ए.) की स्थापना 1960 में विश्व बैंक की संबद्ध संस्था के रूप में की गई थी। इसकी स्थापना का मूल उद्देश्य कम विकसित सदस्य देशों को आसान शर्तों पर ऋण के रूप में वित्त उपलब्ध कराना था। इसके इस उद्देश्य के कारण ही इसे आई.बी.आर.डी. की आसान ऋण खिड़की कहा जाता है।

आई.डी.ए. के उद्देश्य: आई.डी.ए. के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं।

- कम विकसित सदस्य देशों को आसान शर्तों पर विकास वित्त प्रदान।
- सबसे गरीब देशों में गरीबी दूर करने में सहायता प्रदान करना।
- कम विकसित देशों में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने, उत्पादकता एवं जीवन स्तर को ऊँचा उठाने के लिए रियायती ब्याज दर पर वित्त उपलब्ध कराना।

--- आर्थिक प्रबंध सेवाएँ जैसे कि स्वास्थ्य शिक्षा, पोषण, मानव संसाधन विकास एवं जन संख्या नियंत्रण आदि।

12.4.3 अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम

(आई.एफ.सी.)

आई.एफ.सी. की स्थापना जुलाई 1956 में निजी क्षेत्र को वित्त उपलब्ध कराने के लिए की गई थी। आई.एल.सी. भी विश्व बैंक की संबद्ध संस्था है लेकिन इसका पृथक कानूनी अस्तित्व, कोष एवं कार्य है। विश्व बैंक के सभी सदस्य आई.एफ.सी. के सदस्यता के योग्य होते हैं।

12.4.4 बहुराष्ट्रीय निवेश गारंटी एजेंसी

(एम.आई.जी.ए.) एम.आई.जी.ए. की स्थापना अप्रैल 1988 में विश्व बैंक एवं आई.एफ.सी. के कार्यों की अनुपूर्ति हेतु की गई थी। एम.आई.जी.ए. के उद्देश्य:

ये उद्देश्य निम्न हैं:

- कम विकसित सदस्य देशों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करना।
- निवेशकों को राजनीतिक जोखिमों के विरुद्ध बीमा कराना।
- गैर वाणिज्यिक जोखिमों के विरुद्ध गारंटी देना (जैसे कि मुद्रा हस्तांतरण में आने वाली जोखिमें, युद्ध एवं नागरिक उपद्रव एवं करार भंग)
- नए निवेशों का बीमा करना, वर्तमान निवेशों का विस्तार, निजीकरण एवं वित्तीय पुनर्गठन।
- प्रवर्तन एवं सलाहकार सेवाएँ प्रदान करना, तथा
- साख का निर्माण करना।

12.4.5 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष

(आई.एम.एफ)

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष विश्व बैंक के बाद दूसरा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। आई.एम.एफ जो 1945 में अस्तित्व में आया, का मुख्यालय वाशिंगटन डी.सी. में स्थित है। 2005 में 91 देश इसके सदस्य थे। आई.एम.एफ की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य एक व्यवस्थित अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा प्रणाली का विकास करना है अर्थात् अंतर्राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली को सुविधाजनक बनाना एवं राष्ट्रीय मुद्राओं में विनिमय दर को समायोजित करना। **आई.एम.एफ के उद्देश्य:** अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं।

- एक स्थाई संस्था के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा सहयोग को बढ़ावा देना।
- अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को संतुलित विकास के विस्तार को सुगम बनाना एवं उच्च स्तरीय रोजगार एवं वास्तविक आय में वृद्धि एवं अनुरक्षण में योगदान देना।
- सदस्य देशों के बीच नियमानुसार विनिमय व्यवस्था के उद्देश्य से विनिमय स्थिरता को बढ़ाना।
- देशों के बीच वर्तमान लेन-देनों के संदर्भ में भुगतान की बहु आयामी प्रणाली की स्थापना में सहायता करना।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्य:

इस संगठन के द्वारा उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अनेकों कार्य किए जाते हैं। इसके कुछ महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित हैं।

- एक लघु अवधि साख संस्था के रूप में कार्य करना।

- विनिमय दर के नियम के अनुसार समायोजन के लिए तंत्र की रचना करना।
- सभी सदस्य देशों की मुद्राओं के कोष के रूप में कार्य करना जिसमें से कोई भी देश दूसरे देश की मुद्रा में ऋण ले सकता है।
- विदेशी मुद्रा एवं वर्तमान लेन-देनों के ऋणदात्री संस्था का कार्य

किसी भी देश की मुद्रा का मूल्य निर्धारण करना करना अथवा आवश्यकता पड़ने पर उसमें परिवर्तन करना जिससे कि सदस्य देशों में विनिमय दरों में सुव्यवस्थित समायोजन किया जा सके।

अंतर्राष्ट्रीय विचार विमर्श के लिए तंत्र की व्यवस्था करना।

12.4.6 विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू.टी.ओ) एवं प्रमुख समझौते:

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक की तर्ज पर ब्रैटन वूड्स सम्मेलन में प्रारंभ में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संघ की स्थापना का निर्णय लिया गया। इसका उद्देश्य सदस्य देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना एवं सुविधाजनक बनाना तथा उस समय व्याप्त विभिन्न प्रतिबंध एवं पक्षपात पर काबू पाना। लेकिन यह विचार अमेरिका के कड़े विरोध के कारणों व्यवहार में नहीं आ सका। लेकिन इस विचार को पूर्ण रूप से त्याग देने के स्थान पर जो देश ब्रैटन वूड्स सम्मेलन में भाग ले रहे थे, ने विश्व को ऊँचे सीमा शुल्क एवं उस समय लागू अन्य दूसरे प्रकार के प्रतिबंधों से मुक्त करने के लिए आपस में कोई व्यवस्था करना तय किया। यह व्यवस्था शुल्क एवं व्यापार का साधारण समझौता (जनरल एग्रीमेंट फॉर टैरिफ्स एंड ट्रेड-जी.ए.टी.टी.) कहलाया।

जी.ए.टी.टी 1 जनवरी 1948 को अस्तित्व में आया तथा दिसंबर तक कार्यरत रहा। इसके सानिध्य में सीमा शुल्क एवं अन्य बाधाओं को कम करने के लिए बात-चीत के कई दौर हो चुके हैं। अंतिम दौर, जिसे यूरुग्वे दौर कहा जाता है; जिसमें सर्वाधिक संख्या में समस्याओं पर विचार किया गया एवं जिसकी अवधि भी सबसे लंबी रही जोकि 1986 से 1994 तक की सात वर्ष की थी।

जी.ए.टी.टी में विचार विमर्श के यूरुग्वे दौर की प्रमुख उपलब्धियों में से एक है विभिन्न देशों में स्वतंत्र एवं संतोषजनक व्यापार की प्रोन्नति पर ध्यान देने के लिए एक स्थायी संस्था की स्थापना का निर्णय। इस निर्णय के परिणाम स्वरूप जी.ए.टी.टी को 1 जनवरी 1995 से विश्व व्यापार संगठन में परिवर्तित कर दिया गया। इसका मुख्यालय जेनेवा, स्विटजरलैंड में स्थित है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना लगभग पचास वर्ष पूर्व के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन (आई.टी.ओ.) की स्थापना के मूल प्रस्ताव का क्रियान्वयन है।

यद्यपि विश्व व्यापार संगठन जी.ए.टी.टी. का उत्तराधिकारी है तथापि यह उससे अधिक शक्तिशाली संगठन है। यह न केवल वस्तुओं बल्कि सेवाओं एवं बौद्धिक संपदा अधिकार में व्यापार को शासित करता है। जी.ए.टी.टी. से हटकर यह एक स्थायी संगठन है जिसकी स्थापना अंतर्राष्ट्रीय समझौते से हुई है तथा जिसे सदस्य देशों की सरकारों एवं विधान मंडलों ने प्रमाणित किया है। वैसे भी यह एक सदस्यों द्वारा संचालित नियमों पर आधारित संगठन है क्योंकि इसमें

सभी निर्णय सदस्य सरकारों द्वारा आम राय से लिए जाते हैं। विभिन्न देशों के बीच व्यापारिक समस्याओं के समाधान की प्रधान अंतर्राष्ट्रीय संस्था एवं बहु आयामी व्यापारिक परक्रामण का मंच होने के नाते इसका आई.एम.एफ.एवं विश्व बैंक के समान वैश्विक स्तर है। भारत विश्व व्यापार संगठन का संस्थापक सदस्य है। 11 दिसंबर 2005 को इसके 149 सदस्य थे।

विश्व व्यापार संगठन के उद्देश्य:

विश्व व्यापार संगठन के उद्देश्य वही हैं जो जी.ए.टी.टी. के हैं, अर्थात् आय में वृद्धि एवं जीवन स्तर में सुधारपूर्ण रोजगार सुनिश्चित करना, उत्पादन एवं व्यापार का विस्तार एवं विश्व के संसाधनों का समुचित उपयोग। दोनों के उद्देश्यों में सबसे बड़ा अंतर यह है कि विश्व व्यापार संगठन के उद्देश्य अधिक सुनिश्चित हैं तथा इसके कार्य क्षेत्र में सेवाओं का व्यापार भी आता है। विश्व व्यापार संगठन का एक उद्देश्य विश्व के संसाधनों के समुचित उपयोग के द्वारा टिकाऊ विकास करना है जिससे कि पर्यावरण को सुरक्षा एवं संरक्षण को सुनिश्चित किया जा सके। उपर्युक्त परिचर्चा को ध्यान में रखते हुए हम अधिक स्पष्ट रूप में कह सकते हैं कि विश्व व्यापार संगठन के प्रमुख उद्देश्य निम्न हैं:

- विभिन्न देशों द्वारा लगाए शुल्क एवं अन्य व्यापारिक बाधाओं में कमी को सुनिश्चित करना;
- ऐसे कार्य करना जो जीवन स्तर में सुधार लाएं, रोजगार पैदा करें, आय एवं प्रभावी मांग में वृद्धि करें एवं अधिक उत्पादन एवं व्यापार को सुगम बनाएं;

- टिकाऊ विकास के लिए विश्व संसाधनों के उचित उपयोग को सुगम बनाना।
- एकीकृत, अधिक व्यावहारिक एवं टिकाऊ व्यापार प्रणाली का प्रवर्तन।

विश्व व्यापार संगठन के कार्य: विश्व व्यापार संगठन के प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं।

एक ऐसे वातावरण को बल देना जो इसके सदस्य देशों को अपनी शिकायतों को दूर करने के लिए डब्ल्यू.टी.ओ. के पास आने के लिए प्रोत्साहित करे;

- एक सर्वमान्य आचार संहिता बनाना जिससे कि व्यापार की बाधाओं जैसे सीमा शुल्क को कम किया जा सके एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधों में पक्षपात को समाप्त किया जा सके;
- विवादों के हल करने वाली संस्था के कार्य;
- यह सुनिश्चित करना कि सभी सदस्य देश अपने आपसी विवादों को हल करने के लिए अधिनियम द्वारा निर्धारित सभी नियम एवं कानूनों का पालन करें;
- आई.एम.एफ. एवं आई.बी.आर.डी. एवं इससे संबद्ध एजेंसियों से विचार-विमर्श करना जिससे कि वैश्विक आर्थिक नीति के निर्माण में और श्रेष्ठ समझ एवं सहयोग का समावेश किया जा सके; एवं
- वस्तुओं, सेवाओं एवं व्यापार से संबंधित बौद्धिक अधिकारों के संबंध में संशोधित समझौते एवं सरकारी घोषणाओं के परिचालन का नियमित पर्यवेक्षण करना।

विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू.टी.ओ.) के लाभ; 1995 में स्थापना के समय से ही विश्व व्यापार संगठन ने वर्तमान बहुआयामी व्यापार प्रणाली की वैधानिक एवं संस्थागत आधारशिला तैयार के लिए एक लंबा सफर तय किया है।

यह न केवल व्यापार को सुगम बनाने बल्कि जीवन स्तरों में सुधार एवं सदस्य देशों में पारस्परिक सहयोग कारहा है।

- विश्व व्यापार संगठन अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देता है एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय को सुगम बनाता है।
- सदस्य देशों के बीच विवादों को आपसी बातचीत से निपटाता है।
- नियम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं संबंधों को मृदु एवं संभाव्य बनाते हैं।
- स्वतंत्र व्यापार के कारण विभिन्न प्रकार की अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तुओं को प्राप्त करने के पर्याप्त अवसर मिलते हैं।
- स्वतंत्र व्यापार के कारण आर्थिक विकास में तीव्रता आई है।
- यह प्रणाली श्रेष्ठ शासन को प्रोत्साहित करती है।

विश्व व्यापार संगठन विकासशील देशों के विकास का, व्यापार से संबंधित मामलों में विशेष ध्यान रख कर प्राथमिकता के आधार पर व्यवहार कर पोषण करने में सहायक होता है।

विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू.टी.ओ.) के समझौते: जी.ए.टी.टी. जहाँ वस्तुओं में व्यापार से संबंधित नियमों को ही व्याख्याओं एवं बौद्धिक संपदा को सम्मिलित करते हैं। यह समझौते विवादों को हल करने की प्रक्रिया बताते हैं तथा

इनमें विकासशील देशों के साथ विशेष व्यवहार के प्रावधान हैं। ये समझौते अपेक्षा रखते हैं कि सरकारें व्यापार उदारीकरण के लिए विभिन्न कानून एवं उपायों को विश्व व्यापार संगठन को सूचित कर अपनी व्यापार नीतियों में पारदर्शिता लाएं।

विश्व व्यापार संगठन के प्रमुख समझौते की विवेचना नीचे की गई है।

जी.ए.टी.टी. के समझौते:

पूर्व सीमा शुल्क एवं व्यापार पर साधारण समझौते (जी.ए.टी.टी.) में 1994 भारी परिवर्तन (प्रक्रमण का यूरुग्वे दौर का एक हिस्सा) विश्व व्यापार संगठन समझौते का ही एक हिस्सा है। व्यापार उदारीकरण के सामान्य सिद्धांतों के साथ-साथ जी.ए.टी.टी. के कुछ विशेष समझौते भी हैं जो विशिष्ट गैर-सीमा शुल्क बाधाओं से निपटने के लिए हैं। जी.ए.टी.टी. के कुछ निश्चित समझौतों को दर्श 11.3 की सूची में दिखाया गया है। कपड़ा एवं वस्त्र समझौता (ए.टी.सी.); ये समझौते विश्व व्यापार संगठन के अधीन तैयार किये गये थे। यह समझौता विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों से निर्यात किए कपड़े पर से कोटा प्रतिबंध को हटाना था। विकसित देश बहु रेशा व्यवस्था (मल्टीफाइबर अरेंजमेंट 19 एफ.ए.) के अंतर्गत कई प्रकार के कोटा प्रतिबंध लगा रही थी जो जी.ए.टी.टी. के वस्तुओं के स्वतंत्र व्यापार के आधारभूत सिद्धांत से प्रमुख विचलन था। ए.टी.सी. के अंतर्गत विकसित देश कोटा प्रतिबंधों को 1995 से प्रारंभ 10 वर्ष की अवधि में धीरे-धीरे समाप्त करने पर सहमत हुई। ए.टी.सी. को विश्व व्यापार संगठन की एक

ऐतिहासिक उपलब्धि माना गया। ए.टी.सी. के कारण ही 1 जनवरी 2005 से कपड़ा एवं वस्त्र का विश्व व्यापार लगभग कोटा मुक्त हो चुका है। इससे विकासशील देशों को अपना कपड़ा एवं वस्त्र निर्यात का विस्तार करने में बहुत अधिक लाभ हुआ है।

कृषि पर समझौता (एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर ए.ओ.ए.): यह कृषि में स्वतंत्र एवं संतोषजनक व्यापार को सुनिश्चित करने के लिए समझौता है। यद्यपि कृषि में व्यापार पर जी.ए.टी.टी के नियम लागू होते थे फिर भी इनमें कुछ कमियाँ थीं। जैसे कि सदस्य देशों को अपने स्वयं के देश में किसानों के हितों की रक्षा के लिए कुछ गैर-सीमा शुल्क उपायों जैसे कस्टम शुल्क आयात कोटा एवं सहायता राशि आदि की छूट। विशेष रूप से कुछ विकसित देशों द्वारा सहायता राशि के उपयोग के कारण कृषि व्यापार में बहुत अधिक विकृति आ गई।

ए.ओ.ए. कृषि उत्पादों के व्यवस्थित एवं संतोषजनक व्यापार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। विकसित देश कृषि उत्पादों के आयात पर कस्टम कर एवं निर्यात पर सहायता राशि को कम करने पर सहमत हो गए हैं। विकासशील देश क्योंकि कृषि पर अधिक निर्भर करते हैं। इसीलिए उन्हें बदले में इस प्रकार के प्रस्तावों से छूट दे दी गई है।

सेवाओं के व्यापार पर साधारण समझौता (जी.ए.टी.एस.) सेवाओं से अभिप्राय उन क्रियाओं एवं कार्य निष्पादन से है जो वास्तव में अमूर्त है तथा उन्हें वस्तुओं के समान न तो छुआ जा सकता है और नहीं स्पर्श किया जा सकता है।

जी.ए.टी.एस. को यूरुग्वे दौर की एक ऐतिहासिक उपलब्धि माना गया है क्योंकि इसी के कारण वस्तुओं में व्यापार को शासित करने वाले नियम सेवाओं में व्यापार' पर लागू होने लगे हैं।

जी.ए.टी.टी 1994: प्रमुख समझौते/करार

- कस्टम कर के लिए मूल्यांकन पर समझौता अर्थात के अंतर्नियम VII (कस्टम कर योग्य मूल्यांकन) क्रियान्वयन पर समझौता।
- लदान पूर्व निरीक्षण करार।
- व्यापार के तकनीकी अवरोध करार।
- आयात लाइसेंसिंग प्रक्रिया करार।
- स्वच्छता एवं वनस्पति स्वच्छता उपायों के लागू करने पर समझौता।
- सुरक्षा उपायों पर समझौता।
- सहायता एवं सम करने के उपायों पर समझौता
- उद्गम से संबंधित नियमों पर समझौता।

जी.ए.टी.एस. के तीन प्रमुख प्रावधान: जो सेवाओं में व्यापार को शासित करते हैं नीचे दिए हैं। सभी सदस्य देशों को सेवा व्यापार पर से प्रतिबंधों को धीरे-धीरे समाप्त करना होगा। लेकिन विकासशील देशों को यह निर्णय लेने में अधिक स्वतंत्रता दी गई है, कि मुक्त करने के लिए कितना समय लेंगे एवं उस समय तक वह कौन-कौन से सेवाओं को प्रतिबंध मुक्त करेंगे। सेवा व्यापार समझौता (जी.ए.टी.एस.) व्यवस्था देता है कि सेवा व्यापार सर्वाधिक अनुग्रह प्राप्त राष्ट्र के कर्तव्य से शासित है जो राष्ट्रों को विदेशी आपूर्तिकर्ताओं एवं सेवाओं में पक्षपात करने से रोकता है।

प्रत्येक सदस्य देश सेवा संबंधित नियम एवं कानूनों, जिनमें वे व्यापार एवं सेवाओं से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय समझौते सम्मिलित हैं जिन पर सदस्य देश ने हस्ताक्षर किए हैं, को तुरंत प्रकाशित करेगा।

बौद्धिक संपत्ति अधिकार के व्यापार पक्षों पर समझौता (टी.आर.आई.पी.एस.): टी.आर.आई.पी.एस. पर डब्ल्यू.टी.ओ. को समझौता परक्रामण 1986-94 में किया गया। जी.ए.टी.टी. परक्रामण के यूरूग्वे दौर में बौद्धिक संपत्ति अधिकारों से संबंधित नियमों पर प्रथम बार चर्चा की गई तथा इन्हें बहुआयामी व्यापार प्रणाली के एक भाग के रूप में लाया गया। बौद्धिक संपदा का अर्थ है वाणिज्यिक मूल्यों की सूचना जैसे विचार खोज, सृजनात्मक भाव एवं अन्या। यह समझौता संरक्षण के न्यूनतम मानकों को निर्धारित करता है जिन्हें समझौते के पक्ष सात बौद्धिक संपत्तियों के संदर्भ में अपनाएंगे। ये संपत्तियाँ हैं कॉपी राइट/अधिकार एवं अन्य संबंधित अधिकार, ट्रेड मार्क, भौगोलिक निर्देश, औद्योगिक डिजाइन पेटेंट्स, एकीकृत सरकट्/परिभ्रमण खाके का डिजाइन, एवं गुप्त सूचना (व्यापार रहस्य)।

मुख्य शब्दावली

सुचनार्थ बीजक	बीजक
आदेश अथवा इंडेंट	विनिमय विपत्र
निर्यात अनुज्ञप्ति/लाइसेंस	दर्श विपत्र
आई.ई.सी. नंबर	मुद्दती विपत्र
पंजीकरण एवं सदस्यता प्रमाण पत्र	समुद्री बीमा पालिसी
माल प्रेषण से पूर्व वित्त	चिटवाहन गेटपास
माल प्रेषण से पूर्व निरीक्षण	बैंक का भुगतान संबंधित प्रमाण पत्र
निर्यात निरीक्षक एजेंसी	निरीक्षण पूछताछ
उत्पाद शुल्क की निकासी	माल प्रेषण सूचना पत्र
उद्गम प्रमाण पत्र	व्यापारिक पूछताछ
कस्टम निकासी	आयातित माल की सामान्य सूची

साख पत्र	सुपुर्दगी आदेश पत्र
जहाजी बिल	प्रवेश बिल
मेट्स/कप्तान की रसीद	शुल्क वापसी योजना
जहाजी बिल्टी	बाँड योजना के अंतर्गत निर्यात हेतु विनिर्माण
वायुमार्ग विपत्र	अग्रिम लाइसेंस योजना
सामग्री बोर्ड	निर्यात संवर्धन पूँजीगत वस्तुएँ योजना
निर्यात निरीक्षण परिषद	माल लदान पश्चात् वित्त
भारतीय पैकेजिंग संस्थान	निर्यात प्रवर्तन क्षेत्र
राज्य व्यापार संगठन	100 प्रतिशत निर्यात परक इकाईयाँ
विश्व बैंक	निर्यात प्रोन्नति परिषद

सारांश

बाह्य देशों को वस्तुओं का निर्यात अपने देश में उनके विक्रय से काफी भिन्न है। विदेशी गंतव्य स्थान से माल को वास्तव में लदान करने अथवा बाह्य देशों के आपूर्तिकर्ताओं से आयात करने से पहले जिन प्रक्रिया संबंधित औपचारिकताओं को पूरा करना है उनसे परिचित होना आवश्यक है।

आयात निर्यात प्रक्रिया: आंतरिक एवं बाह्य व्यवसाय परिचालन में प्रमुख अंतर की जटिलता है। वस्तुओं का आयात एवं निर्यात उतना सीधा एवं सरल नहीं है जितना कि घरेलू बाजार में क्रय एवं विक्रय, क्योंकि विदेशी व्यापार में माल देश की सीमा के पार भेजा जाता है तथा इसमें विदेशी मुद्रा का प्रयोग किया जाता है।

निर्यात प्रक्रिया: निर्यात लेन-देन के अलग-अलग होते हैं। एक प्रति रूपक निर्यात लेन-देन के निम्नलिखित चरण होते हैं: (क) पूछताछ प्राप्त करना एवं निर्र्ख भेजना (ख) आदेश अथवा इंडेंट की प्राप्ति (ग) आयातक की साख का आंकलन एवं भुगतान की गारंटी प्राप्त करना (घ) निर्यात लाइसेंस प्राप्त करना (ङ) माल प्रेषण से पूर्व वित्त करना (च) वस्तुओं का उत्पादन एवं अधिप्राप्ति (छ) जहाज लदान निरीक्षण (ज) उत्पाद शुल्क की निकासी (झ) उद्गम प्रमाणपत्र प्राप्त करना (ण) जहाज में स्थान का आरक्षण (ट) पैकिंग एवं माल को भेजना (ठ) वस्तुओं का बीमा (ड) कस्टम निकासी (ढ) जहाज के कप्तान की रसीद (मेट्स रिसीप्ट) प्राप्त करना (न) भाड़े का भुगतान एवं जहाजी बिल्टी का बीमा (त) बीजक बनाना (थ) भुगतान प्राप्त करना।

आयात प्रक्रिया: (क) व्यापारिक पूछताछ (ख) आयात लाइसेंस प्राप्त करना (ग) विदेशी मुद्रा का प्रबंध करना (घ) आदेश अथवा इंडेंट भेजना (ङ) साख पत्र प्राप्त

करना (च) वित्त की व्यवस्था करना (छ) जहाज से माल भेज दिए जाने की सूचना की प्राप्ति (ज) आयात प्रलेखों को छुड़ाना (झ) माल का आगमन (ण) सीमा शुल्क निकासी एवं माल को छुड़ाना

विदेशी व्यापार प्रोन्नति प्रोत्साहन एवं संगठनात्मक समर्थन: आगे के अनुभागों में प्रमुख विदेशी व्यापार प्रोन्नति योजनाओं एवं संगठनों पर चर्चा की गई है।

विदेशी व्यापार प्रोन्नति विधियाँ एवं योजनाएं: (क) शुल्क वापसी योजना (ख) बांड योजना के अंतर्गत निर्यात हेतु विनिर्माण (ग) विक्रय कर के भुगतान से छूट (घ) अग्रिम लाइसेंस योजना (ङ) निर्यात संवर्धन पूँजीगत वस्तुएँ योजना (च) निर्यात फर्मों को निर्यात गृह एवं सुपर स्टार व्यापार गृहों के रूप में मान्यता देने की योजना (छ) निर्यात सेवाएँ (ज) निर्यात वित्त (झ) निर्यात प्रवर्तन क्षेत्र (ण) 100 प्रतिशत निर्यात परक इकाइयाँ (100 प्रतिशत ई.ओ.यूस)

संगठन समर्थन: (क) वाणिज्य विभाग (ख) निर्यात प्रोन्नति परिषद् (ई.पी.सी) (ग) सामग्री बोर्ड (घ) निर्यात निरीक्षण परिषद (ई.आई.सी) (ङ) भारतीय व्यापार प्रोन्नति संगठन (आई.टी.पी.ओ) (च) भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान (छ) भारतीय पैकेजिंग संस्थान (आई.आई.पी) (ज) राज्य व्यापार संगठन (एस.टी.सी)

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संस्थान एवं व्यापार समझौते: प्रथम दो संस्थान अर्थात् आई.बी. आर.डी. एवं आई.एम.एफ. तुरंत अस्तित्व में आ गए लेकिन डब्ल्यू.आर.ओ. इस व्यवस्था को जनरल एग्रीमेंट फार टेरिफ एंड ट्रेड का नाम दिया गया। संस्थाओं के प्रमुख उद्देश्य एवं कार्यों की विस्तार से विवेचना आगे के अनुभागों में की गई है।

विश्व बैंक: पुनः निर्माण एवं विकास का अंतर्राष्ट्रीय बैंक (आइ.बी.आर.डी) जिसे विश्व बैंक भी कहते हैं। ब्रेटन वूड कांफ्रेंस का एक स्वप्न था। इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना का मुख्य उद्देश्य युद्ध से प्रभावित यूरोप के देशों की अर्थव्यवस्था पुनः निर्माण एवं विश्व के अविकसित देशों को विकास के कार्य में सहायता प्रदान करना था।

बहुराष्ट्रीय निवेश गारंटी एजेंसी

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आई.एम.एफ.)

विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू.टी.ओ.) एवं प्रमुख समझौते

जी.ए.टी.टी. के समझौते

बौद्धिक संपत्ति अधिकार के व्यापार पक्षों पर समझौता (टी.आर.आई.पी.एस.)

अभ्यास

बहु विकल्प प्रश्न

1. निर्यात लाइसेंस प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से प्रलेखों की आवश्यकता नहीं होती।

(क) आई.ई.सी. नंबर	(ख) साख पत्र
(ग) पंजीयन संग सदस्यता प्रमाण पत्र	(घ) बैंक खाता संख्या
2. आयात लेने-देनों में निम्नलिखित में से किस प्रलेख की आवश्यकता नहीं होती?

(क) जहाजी बिल्टी	(ख) जहाजी बिल
(ग) उद्गम स्थान संबंधित प्रमाण पत्र	(घ) लदान संबंधी सूचना
3. निम्न में से कौन सा शुल्क वापसी योजना का अंग नहीं है?

(क) उत्पादन शुल्क की वापसी	(ख) सीमा शुल्क की वापसी
(ग) निर्यात कर की वापसी	(घ) लदान बंदरगाह पर बंदरगाही
4. निम्न में से कौन सा प्रलेख कस्टम संबंधित औपचारिकताओं का भाग नहीं है?

(क) जहाजी बिल	(ख) निर्यात लाइसेंस
(ग) बीमा पत्र	(घ) सूचनार्थ बीजक
5. निम्न में से कौन सा निर्यात संबंधित प्रलेखों में सम्मिलित नहीं है?

(क) वाणिज्यिक बीजक	(ख) उद्गम स्थान प्रमाण पत्र
(ग) प्रवेश बिल	(घ) कारिंदे की रसीद
6. जब माल का जहाज पर लदान करा दिया जाता है तो जहाज के कप्तान द्वारा जारी रसीद को कहते हैं-

(क) जहाजरानी रसीद	(ख) कारिंदे की रसीद
(ग) नौभार माल रसीद	(घ) जहाज के किराए की रसीद
7. निम्न में से कौन सा प्रलेख निर्यातक द्वारा बनाया जाता है जिसमें जहाज से माल भेजने से संबंधित विवरण होता है जैसे भेजने वाले का नाम, पैकेजों की संख्या, जहाजी बिल, गंतव्य बंदरगाह, जहाज का नाम आदि:

(क) जहाजी बिल	(ख) पैकेजिंग सूची
(ग) कारिंदे की रसीद	(घ) विनिमय पत्र
8. प्रलेख जिसमें बैंक द्वारा उस पर निर्यातक द्वारा लिखे बिल के भुगतान की गारंटी दी होती है। वह है-

(क) बंधक पत्र	(ख) साख पत्र
(ग) जहाजी बिल्टी	(घ) विनिमय पत्र

9. निम्न से कौन सा विश्व बैंक समूह का सदस्य नहीं है?
 - (क) पुनर्निर्माण एवं विकास का अंतर्राष्ट्रीय बैंक
 - (ख) बहुआयामी निवेश गारंटी एजेंसी।
 - (ग) अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ।
 - (घ) अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष
10. टी.आर.आई.पी. विश्व व्यापार समझौते में से एक है जो संबंधित है:
 - (क) कृषि व्यापार
 - (ख) सेवा व्यापार
 - (ग) व्यापार संबंधित निवेश उपाय
 - (घ) इनमें से कोई नहीं

लघु उत्तरीय प्रश्न:

1. निर्यात लाइसेंस लेने के लिए औपचारिकताओं की विवेचना कीजिए।
2. निर्यात प्रोन्नति परिषद् में पंजीयन कराना क्यों आवश्यक है?
3. आयात-निर्यात कोड नंबर क्या होता है?
4. लदान-पूर्व वित्त क्या है?
5. एक निर्यात फर्म के लिए लदान-पूर्व निरीक्षण कराना क्यों आवश्यक है?
6. माल को उत्पादन शुल्क विभाग से अनुमति के लिए प्रक्रिया की संक्षेप में विवेचना कीजिए।
7. निर्यात की वस्तुओं को कस्टम से निकासी की प्रक्रिया को संक्षेप में समझाइए।
8. जहाजी बिल्टी क्या है? यह प्रवेश बिल से किस प्रकार भिन्न है?
9. जहाजी बिल क्या है?
10. जहाजी कारिंदे की रसीद के अर्थ को समझाइए।
11. साख पत्र क्या है? निर्यातक को इस प्रलेख की क्या आवश्यकता है?
12. निर्यात का भुगतान प्राप्त करने की प्रक्रिया की विवेचना कीजिए।
13. निम्न में अंतर्भेद कीजिए:
 - (क) दर्श विपत्र एवं मुद्दती विपत्र
 - (ख) जहाजी बिल्टी एवं वायु मार्ग बिल
 - (ग) लदान पूर्व एवं लदान के पश्चात वित्त
14. आयात के संबंध में प्रयुक्त निम्न प्रलेखों को समझाइए।
 - (क) व्यापार संबंधी पूछ-ताछ
 - (ख) आयात लाइसेंस
 - (ग) माल भेजने की सूचना
 - (घ) आयातित माल की सूची।
15. विश्व बैंक से संबद्ध प्रमुख संगठनों के नाम बताइए।
16. निम्न पर संक्षेप में टिप्पणी लिखें:
 - (क) संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास परिषद्
 - (ख) बहुआयामी निवेश गारंटी एजेंसी।
 - (ग) विश्व बैंक।
 - (घ) भारतीय व्यापार प्रवर्तन संगठन
 - (ङ) अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

1. रेखा गारमेंट्स को आस्ट्रेलिया में स्थित स्विफ्ट इम्पोर्ट्स लि. को 2000 पुरुष पैंट के निर्यात का आदेश प्राप्त हुआ है। इस निर्यात आदेश को क्रियान्वित करने में रेखा गारमेंट्स को किस प्रक्रिया से गुजरना होगा? विवेचना कीजिए।
2. आपकी फर्म कनाडा से कपड़ा मशीनरी के आयात की योजना बना रही है। आयात प्रक्रिया का वर्णन कीजिए।
3. निर्यात में प्रयुक्त प्रधान प्रलेखों की विवेचना कीजिए।
4. देश के निर्यात की प्रोन्नति के लिए सरकार द्वारा तैयार विभिन्न प्रेरक एवं योजनाओं को सूचीबद्ध कीजिए एवं समझाइए।
5. देश के विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने जिन संगठनों की स्थापना की है। उनके नाम दीजिए।
6. विश्व बैंक क्या है? इसके विभिन्न उद्देश्यों को एवं इससे संबद्ध एजेंसियों की भूमिका की विवेचना कीजिए।
7. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष क्या है? इसके विभिन्न उद्देश्यों एवं कार्यों की विवेचना कीजिए।
8. विश्व व्यापार संगठन की विशेषताओं ढाँचा उद्देश्य एवं कार्य संचालन पर विस्तृत टिप्पणी लिखिए।